

## प्रथम अध्याय

### राज्य शासन के वित्त

#### छत्तीसगढ़ का पार्श्व दृश्य

यह अध्याय वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा पिछले पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2017-18 के सापेक्ष मुख्य राजकोषीय संचय में परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

विश्लेषण छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त लेखे में निहित विवरणों पर आधारित है। राज्य की पार्श्व दृश्य परिशिष्ट 1.1 (भाग-अ) में दिया गया है।

#### 1.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)<sup>1</sup>

वर्तमान मूल्यों तथा स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष 2011-12) पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति तालिका 1.1 में दर्शायी गई है।

तालिका 1.1- भारत का सकल घरेलू उत्पाद तथा राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
प्रचलित भाव पर भारत का स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,24,67,959	1,37,71,874	1,53,62,386	1,70,95,005	1,90,10,164
प्रचलित भाव पर भारत का स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.99	10.46	11.55	11.28	11.20
प्रचलित भाव पर राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	2,21,118	2,27,383	2,54,722	2,84,194	3,11,660
प्रचलित भाव पर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	6.91	2.83	12.02	11.57	9.66
स्थिर भाव पर राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,85,813	1,91,020	2,07,326	2,18,539	2,31,820
स्थिर भाव पर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	1.77	2.80	8.54	5.41	6.08

(स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट)

सरकारी लेखाओं के संरचना की व्याख्या भाग-ब में तथा वित्त लेखाओं का अभिन्यास परिशिष्ट 1.1 के भाग-ग में चित्रित किया गया है।

#### 1.1.1 वर्ष 2018-19 में राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

राज्य की वित्तीय स्थिति के आकलन के लिए अपनाई गई पद्धति परिशिष्ट 1.2 में दी गई है।

तालिका 1.2 एवं 1.3 वर्ष 2014-19 के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश प्रस्तुत करती है। परिशिष्ट 1.3 (भाग अ और ब) वर्ष 2018-19 तथा पूर्व वर्षों के दौरान प्राप्तियों और संवितरण के साथ-साथ समग्र वित्तीय स्थिति का एक सार प्रदान करता है।

<sup>1</sup> स.घ.उ. एवं स.रा.घ.उ. क्रमशः देश एवं राज्य के भीतर एक तय समय में उत्पादित सभी अधिकृत मान्यता प्राप्त तैयार पूर्ण सामग्रियों एवं सेवाओं के बाजार मूल्य हैं और देश एवं राज्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

तालिका 1.2: प्राप्तियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

भाग-अ- राजस्व	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	वर्ष 2018-19 में 2017-18 की तुलना में प्रतिशत में बढ़ोतरी
राजस्व प्राप्तियाँ	37,988.01	46,067.71	53,685.25	59,647.07	65,094.93	9.13
स्वयं के कर राजस्व	15,707.26	17,074.86	18,945.21	19,894.68	21,427.26	7.70
कर भिन्न राजस्व	4,929.91	5,214.79	5,669.25	6,340.42	7,703.02	21.49
राज्य के स्वयं की प्राप्तियाँ	20,637.17	22,289.65	24,614.46	26,235.10	29,130.28	11.04
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	8,363.03	15,716.67	18,809.16	20,754.81	23,458.69	13.03
भारत सरकार का अनुदान	8,987.81	8,061.59	10,261.63	12,657.16	12,505.96	(-)1.19
<b>भाग-ब- पूँजीगत एवं अन्य</b>						
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	3.03	2.84	2.37	3.32	5.26	58.43
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	194.86	296.39	172.99	138.59	162.32	17.12
अंतर्राज्यीय समायोजन	0.91	0.52	0.38	1.24	0.57	(-)54.03
लोक ऋण प्राप्तियाँ	6,439.67	7,251.15	5,479.93	9,652.44	14,370.10	48.88
आकस्मिकता निधि	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
लोक लेखा प्राप्तियाँ	51,321.89	55,059.09	62,693.95	72,057.56	76,902.76	6.72
प्रारंभिक रोकड़ शेष	2,735.29	1,218.38	2,833.72	4,658.85	6,804.91	46.06
<b>योग</b>	<b>98,683.66</b>	<b>1,09,896.08</b>	<b>1,24,928.59</b>	<b>1,46,159.07</b>	<b>1,63,340.85</b>	<b>11.76</b>

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

वर्ष 2018-19 में, संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा (13.03 प्रतिशत) राज्य की स्वयं की प्राप्तियाँ (11.04 प्रतिशत) की तुलना में ज्यादा तेजी से वृद्धि की। लोक ऋण प्राप्तियाँ वर्ष 2017-18 में 76.14 प्रतिशत की वृद्धि के तुलना में 48.88 प्रतिशत की कम दर से बढ़ती रही है।

तालिका 1.3: व्यय का सारांश

(₹ करोड़ में)

भाग-अ- राजस्व	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	वर्ष 2017-18 में 2016-17 की तुलना में प्रतिशत में बढ़ोतरी
राजस्व व्यय	39,561.29	43,701.06	48,164.60	56,229.75	64,411.17	14.55
सामान्य सेवायें	9,041.58	10,408.76	11,496.23	12,870.41	15,280.28	18.72
समाजिक सुरक्षा	15,388.85	16,339.35	21,341.61	24,371.59	23,454.94	(-)3.76
आर्थिक सेवायें	14,152.22	16,052.54	14,176.21	17,623.09	24,780.79	40.62
सहायता अनुदान/ अंशदान	978.64	900.41	1,150.55	1,364.66	895.16	(-)34.40
<b>भाग-ब- पूँजीगत एवं अन्य</b>						
पूँजीगत व्यय	6,544.25	7,945.01	9,470.51	10,000.96	8,903.45	(-)10.97
संवितरित ऋण तथा आग्रिम	88.32	164.73	272.71	368.76	240.44	(-)34.80
अंतर्राज्यीय समायोजन	1.22	0.49	0.44	1.07	0.25	(-)76.64
लोक ऋण की अदायगी	1,336.73	1,250.18	1,152.63	999.88	1,145.89	14.60
आकस्मिकता निधि का विनियम	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
आकस्मिकता निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92	100.00
लोक लेखा संवितरण	49,933.47	54,000.89	61,148.85	71,753.74	76,356.85	6.42
अंतिम रोकड़ शेष	1,218.38	2,833.72	4,658.85	6,804.91	12,277.88	80.43
<b>योग</b>	<b>98,683.66</b>	<b>1,09,896.08</b>	<b>1,24,928.59</b>	<b>1,46,159.07</b>	<b>1,63,340.85</b>	<b>11.76</b>

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

- पिछले वर्ष की तुलना में सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत राजस्व व्यय 18.72 प्रतिशत बढ़ गया, जिसका मुख्य रूप से पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (₹ 1,504 करोड़), पुलिस (₹ 475.54 करोड़) तथा चुनाव (₹ 144.45 करोड़) में बढ़ोत्तरी की वजह से हुआ।
- पिछले वर्ष की तुलना में सहायता अनुदान एवं राजस्व व्यय के अन्तर्गत होने वाला अंशदान 34.40 प्रतिशत घट गया, जिसका मुख्य रूप से शहरी स्थानीय निकायों का देय सहायता में कमी की वजह से हुआ।

स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.)/राजस्व व्यय (रा.व्य.)/पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य.) की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.4 में प्रस्तुत किये गये हैं।

तालिका 1.4: स.रा.घ.उ. के सापेक्ष रा.प्रा./रा.व्य./पूँ.व्य. की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	औसत
<b>स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ</b>						
वर्तमान मूल्यों पर रा.प्रा. (₹ करोड़ में)	37,988	46,068	53,685	59,647	65,095	
वर्तमान मूल्यों पर रा.प्रा.की वृद्धि दर (प्रतिशत)	18.53	21.27	16.53	11.11	9.13	<b>15.31</b>
स्थिर मूल्यों पर रा.प्रा. (₹ करोड़ में)	31,923	38,701	43,696	45,867	48,419	
स्थिर मूल्यों पर रा.प्रा. की वृद्धि दर	12.83	21.23	12.91	4.97	5.56	<b>11.50</b>
रा.प्रा./ स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	17.18	20.26	21.08	20.99	20.89	<b>20.08</b>
<b>स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व व्यय</b>						
वर्तमान मूल्यों पर रा.व्य. (₹ करोड़ में)	39,561	43,701	48,165	56,230	64,411	
वर्तमान मूल्यों पर रा.व्य. की वृद्धि दर प्रतिशत)	20.40	10.46	10.21	16.74	14.55	<b>14.47</b>
स्थिर मूल्यों पर रा.व्य. (₹ करोड़ में)	33,245	36,712	39,203	43,240	47,911	
स्थिर मूल्यों पर रा.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	14.61	10.42	6.79	10.30	10.80	<b>10.58</b>
रा.व्य./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	17.89	19.22	18.91	19.79	20.67	<b>19.29</b>
<b>स.रा.घ.उ. के सापेक्ष पूँजीगत व्यय</b>						
वर्तमान मूल्यों पर पूँ.व्य. (₹ करोड़ में)	6,544	7,945	9,471	10,001	8,903	
वर्तमान मूल्यों पर पूँ.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	43.07	21.41	19.21	5.60	(-)10.98	<b>15.66</b>
स्थिर मूल्यों पर पूँ.व्य. (₹ करोड़ में)	5,499	6,674	7,709	7,691	6,623	
स्थिर मूल्यों पर पूँ.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	36.18	21.38	15.51	(-)0.23	(-)13.89	<b>11.79</b>
पूँ.व्य./ स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	2.96	3.49	3.72	3.52	2.86	<b>3.31</b>

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय में बढ़ोत्तरी हुई लेकिन पूँजीगत व्यय में वर्ष 2018-19 में घटोत्तरी हुई है। यद्यपि वर्ष 2018-19 के दौरान 2017-18 की तुलना में राजस्व प्राप्ति और पूँजीगत व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में मामूली कम हुआ, जहाँ पर उसी वर्ष राजस्व व्यय मुद्रास्फीति को लेखांकित करने के पश्चात् भी बढ़ा।

वर्ष 2017-18 की तुलना में राजस्व व्यय ₹ 56,230 करोड़ से बढ़कर (₹ 8,181 करोड़) वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 64,411 करोड़ मुख्य रूप से फसल कृषि कर्म (₹ 5,558 करोड़), सहकारिता (₹ 2,960 करोड़) तथा पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (₹ 1,504 करोड़) में बढ़ोत्तरी की वजह से हुआ।

वर्ष 2017-18 में पूँजीगत व्यय ₹ 10,001 करोड़ से घटकर (₹ 1,098 करोड़) वर्ष 2018-19 में ₹ 8,903 करोड़ हो गया। कमी मुख्यतः शहरी विकास (₹ 357 करोड़) और मेडिकल एवं लोक स्वास्थ्य (₹ 187 करोड़) में पूँजीगत व्यय में कमी के कारण हुआ।

### 1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

14<sup>वें</sup> वित्त आयोग की अनुशंसा और राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन विधानसभा में प्रस्तुत मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणी के आधार पर बजट में उपबंधित लक्षित मुख्य अवयवों के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य का प्रदर्शन तालिका 1.5 में दिया गया है।

वर्ष 2018-19 के लिए मुख्य राजकोषीय पूर्वानुमान, जैसा कि राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम) अधिनियम 14<sup>वें</sup> वित्त आयोग तथा बजट दस्तावेज में निर्धारित है तालिका 1.5 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.5: मुख्य राजकोषीय अवयव 2018-19

राजकोषीय अवयव	2018-19			
	14 <sup>वें</sup> वित्त आयोग का लक्ष्य	एफ.आर.बी.एम अधिनियम के अंतर्गत मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण में निर्धारित लक्ष्य	बजट के अनुसार लक्ष्य	वास्तविक
राजस्व घाटा (-)/ राजस्व आधिक्य (+)	राजस्व आधिक्य	राजस्व आधिक्य	आधिक्य ₹ 4,445.35 करोड़	आधिक्य ₹ 683.76 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 0.22 प्रतिशत)
राजकोषीय घाटा	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अधिकतम 3.50 प्रतिशत राजकोषीय घाटा बनाये रखना	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अधिकतम 3.50 प्रतिशत राजकोषीय घाटा बनाये रखना	₹ 9,997.27 करोड़	₹ 8,292.23 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 2.66 प्रतिशत)
स.रा.घ.उ. से सरकार के कुल बकाया ऋण का अनुपात (प्रतिशत में)	18.40	18.06	18.68	21.42

राजकोषीय घाटा (₹ 8,292.23 करोड़) बजट अनुमान (₹ 9,997.27 करोड़) की तुलना में, मुख्यतः पूँजीगत व्यय (₹ 5,551 करोड़) तथा राजस्व आधिक्य (₹ 3,762 करोड़) में बजट अनुमानों की तुलना में कम होने के कारण हुआ। स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में दो मापदण्डों जैसे राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटा पर राज्य एफ.आर.बी.एम का अनुपालन था।

स.रा.घ.उ. से कुल बकाया ऋण का अनुपात (21.42 प्रतिशत) 14<sup>वें</sup> वित्त आयोग की निर्धारित लक्ष्यों (18.40 प्रतिशत) से ज्यादा था, जो राज्य शासन का छत्तीसगढ़ विकास ऋण के तहत बाजार ऋण ₹ 12,900 करोड़ लेने के कारण हुआ।

#### 1.1.2.1 राजकोषीय घाटा एवं इसके वित्तपोषण स्वरूप का संयोजन

राजकोषीय घाटा दर्शाता है कि कुल वित्त राजस्व की आवश्यकता (मुख्य रूप से उधार और भारतीय रिजर्व बैंक से अपने नकदी तथा और निवेश से आहरित द्वारा) को पूरा करने के लिए राज्य को राजस्व और गैर-ऋण पूँजी प्राप्तियों (ऋण एवं अग्रिमो सहित) की आवश्यकता होती है। राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण स्वरूप को तालिका 1.6 में दर्शाया गया है:-

तालिका 1.6:—राजकोषीय घाटे के अवयव एवं वित्तपोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
<b>राजस्व घाटे की संरचना</b>					
राजस्व घाटा (-)/आधिक्य(+)	(-)1,573.28	2,366.65	5,520.65	3,417.32	683.76
शुद्ध पूँजीगत व्यय <sup>2</sup>	(-)6,541.22	(-)7,942.17	(-)9,468.14	(-)9,997.64	(-)8,898.19
शुद्ध ऋण तथा अग्रिम <sup>3</sup>	106.23	131.69	(-)99.78	(-)230.00	(-)77.80
उदय से संबंधित व्यय छोड़कर	0.00	870.12	0.00	0.00	0.00
<b>कुल</b>	<b>(-)8,008.27</b>	<b>(-)4,573.71</b>	<b>(-)4,047.27</b>	<b>(-)6,810.32</b>	<b>(-)8,292.23</b>
<b>राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप*</b>					
बाजार से लिए गए उधार	3,807.65	4,666.75	3,897.68	8,100.00	12,899.99
भारत सरकार से ऋण	(-)148.49	(-)18.79	211.57	292.41	360.82
एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूति	414.18	389.09	(-)420.53	(-)431.13	(-)443.74
वित्तीय संस्थाओं से ऋण (नाबार्ड)	645.80	525.92	638.58	691.28	407.14
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	383.80	(-)383.80	0.00	0.00	0.00
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	443.83	514.30	426.96	640.61	754.51
जमा तथा अग्रिम	466.62	(-)69.54	550.68	120.95	(-)231.39
उंचत तथा विविध	1,449.74	(-)1,823.27	(-)629.98	(-)1,611.16	(-)5,709.95
प्रेषण	193.52	11.94	49.14	70.92	(-)122.43
अन्य <sup>4</sup>	264.02	389.93	639.80	(-)765.14	60.40
<b>कुल</b>	<b>7,920.67</b>	<b>4,202.53</b>	<b>5,363.90</b>	<b>7,108.74</b>	<b>7,975.35</b>
कुल अधिक्य (+)/घाटा(-)	(-) 87.60	(-) 371.18	1,316.63	298.42	(-) 316.88
<b>योग</b>	<b>8,008.27</b>	<b>4,573.71</b>	<b>4,047.27</b>	<b>6,810.32</b>	<b>8,292.23</b>

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

\*सभी आंकड़े वर्ष के दौरान सवितरण/बहाव हैं।

### 1.1.2.2 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजस्व घाटा से राजकोषीय घाटा का अनुपात तथा प्राथमिक घाटों का प्राथमिक राजस्व घाटा<sup>5</sup> एवं पूँजीगत व्यय (ऋण तथा अग्रिम सम्मिलित) का अपघटन राज्य के वित्त घाटा की गुणवत्ता को दर्शाता है। प्राथमिक घाटे (तालिका 1.7) का विभाजन दर्शाता है कि किस सीमा तक पूँजी व्यय में वृद्धि के कारण घाटा हुआ है जो कि सरकार की उत्पादक क्षमता में सुधार करने के लिए वांछनीय हो सकता है।

तालिका 1.7 राज्य में प्राथमिक घाटा/आधिक्य के अवयव

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्ति <sup>1</sup>	प्रारंभिक राजस्व व्यय <sup>6</sup>	पूँजीगत व्यय	ऋण तथा अग्रिम	प्राथमिक व्यय <sup>7</sup>	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+)	प्राथमिकी घाटा का स.रा.घ.उ. के सापेक्ष अनुपात (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)	9
2014-15	38,187	37,835	6,544	88	44,467	352	(-) 6,281	2.84
2015-16	46,367	41,552	7,075*	165	49,662	4,815	(-) 2,425	1.07
2016-17	53,861	45,478	9,471	273	55,222	8,383	(-) 1,361	0.53
2017-18	59,790	53,131	10,001	370	63,502	6,659	(-) 3,712	1.31
2018-19	65,263	60,759	8,903	241	69,903	4,504	(-) 4,640	1.49

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

\*उदय योजना के अंतर्गत, ₹ 870.12 करोड़ के व्यय को छोड़कर।

<sup>2</sup> शुद्ध पूँजीगत व्यय - पूँजी व्यय: कमी का आंकड़ा बताता है कि वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय पूँजी प्राप्ति से अधिक था।

<sup>3</sup> शुद्ध ऋण और अग्रिम - ऋण और अग्रिम की पुनप्राप्ति - ऋण और अग्रिमों का सवितरण ; कमी का आंकड़ा बताता है कि ऋण एवं अग्रिम का सवितरण वर्ष के दौरान वसूली से अधिक था।

<sup>4</sup> आकस्मिकता निधि और आरक्षित निधि सम्मिलित।

<sup>5</sup> प्राथमिक राजस्व घाटा को राज्य के गैर ब्याज राजस्व व्यय तथा गैर ऋण प्राप्ति<sup>1</sup> के मध्य अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। यह राज्य के राजस्व खाते के अंतर्गत प्राथमिक व्यय के प्रतिपूर्ति हेतु गैर ऋण प्राप्ति<sup>1</sup> की सीमा को इंगित करता है।

<sup>6</sup> प्रारंभिक राजस्व व्यय, राजस्व व्यय में से ब्याज भुगतान को छोड़कर है।


<sup>7</sup> प्राथमिक व्यय, ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व, पूँजी तथा ऋण और अग्रिम को सम्मिलित करता है।

छत्तीसगढ़ शासन का प्राथमिक घाटा 2014-19 के दौरान ₹ 1,361 करोड़ से ₹ 6,281 करोड़ के बीच था। वर्ष 2018-19 के दौरान गैर-ऋण प्राप्तियाँ वर्ष 2017-18 में ₹ 59,790 करोड़ से ₹ 5,473 करोड़ (9.15 प्रतिशत) बढ़कर 2018-19 में ₹ 65,263 करोड़ हो गई, जबकि प्राथमिक व्यय वर्ष 2017-18 में ₹ 63,502 करोड़ से ₹ 6,401 करोड़ (10.08 प्रतिशत) बढ़कर 2018-19 में ₹ 69,903 करोड़ (14.36 प्रतिशत) हो जाने से प्राथमिक घाटा वर्ष 2017-18 में ₹ 3,712 करोड़ से ₹ 928 करोड़ (10.08 प्रतिशत) बढ़कर 2018-19 में ₹ 4,640 करोड़ हो गया। इस प्रकार, प्राथमिक घाटा इंगित करता है कि गैर-ऋण प्राप्तियाँ राज्य सरकार के प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

### 1.1.3 बजट अनुमान तथा वास्तविकतायें

बजट अनुमानों के मुकाबले वास्तविक प्राप्तियाँ और व्यय में कमी या तो अप्रत्याशित और अनोपेक्षित घटनाओं के कारण या बजट तैयार करने के दौरान व्यय या राजस्व के कम/अधिक अनुमान के कारण हुआ, जो कि वांछित राजकोषीय उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

वर्ष 2018-19 के लिए चयनित वित्तीय मानदंडों के बजट अनुमानों के मुताबिक वास्तविकता चार्ट 1.1 और परिशिष्ट 1.4 में दिखाया गया है।



(स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे 2018-19 और बजट अनुमान 2018-19)

वर्ष 2018-19 के दौरान बजट अनुमान की तुलना में राजस्व प्राप्तियों (₹ 7,773 करोड़) में कमी स्वयं के कर राजस्व (₹ 4,603 करोड़) एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान (₹ 3,207 करोड़) में कमी के कारण हुई। आगे, राज्य शासन वास्तविक राजस्व व्यय (₹ करोड़), जिसमें सामान्य सेवाओं (₹ 1,340 करोड़) और सामाजिक सेवाओं (₹ 4,653 करोड़) में बजट अनुमान के मुकाबले कमी करके महत्वपूर्ण राजस्व आधिक्य (₹ 684 करोड़) प्राप्त करने के सक्षम हुई, तत्पश्चात् वित्तीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त किया गया। इसी तरह पूँजीगत व्यय में कमी (₹ 5,551 करोड़) मुख्य रूप से सामाजिक सेवाओं (₹ 2,137 करोड़) और आर्थिक सेवाओं (₹ 3,135 करोड़) में कमी के कारण हुआ। व्यय की प्रकृति को कंडिका 1.7 में चर्चा की गई है।

**अनुशंसा:** वित्त विभाग को बजट तैयार करने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना चाहिए ताकि बजट अनुमान और वास्तविकता के बीच लगातार अंतर कम हो।

#### 1.1.4 जेंडर बजट

राज्य का जेंडर बजट कुल बजट का वह हिस्सा होता है जो महिलाओं को पूरी तरह से या आंशिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। बजट दस्तावेज के मुताबिक, महिलाओं से संबंधित योजनाओं को दो भागों में बांटा गया है— (1) योजनाएं जिनमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे और (2) योजनाएं जिनमें कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे।

अभिलेखों की जाँच के दौरान यह देखा गया कि, वित्त मंत्रालय की अनुशंसा (2006–07 का बजट भाषण) के अनुसार, राज्य शासन को जेंडर बजट सेल (जून 2012) का गठन करना था। जेंडर बजट सेल को, विभिन्न विभागों के बीच सामन्जस्य बनाते हुए, जेंडर बजट को लागू करना था, तथा महिला और बाल विकास विभाग इसकी निगरानी और विश्लेषण का कार्य सौंपा गया था। यद्यपि, विभाग द्वारा जेंडर बजट सेल के कार्य के बारे में कोई सूचना नहीं प्रदान की गई।

यह देखा गया कि वर्ष 2018–19 के दौरान 25 योजनाएं जो कि 100 प्रतिशत महिला केंद्रित कार्यों की थी, के लिए ₹ 5,266.46 करोड़ (₹ 3,887.31 करोड़; मूल बजट प्रावधान और ₹ 1,379.15 करोड़; पूरक बजट प्रावधान) के बजट प्रावधान किए गए थे (परिशिष्ट 1.5)। कुल बजट ₹ 5,266.46 करोड़ में से केवल ₹ 3,256.82 करोड़ (61.84 प्रतिशत) खर्च किया गया था तथा ₹ 2,010.62 करोड़ (38.16 प्रतिशत) या तो समर्पित या पुनर्विनियोजित किया गया तथा ₹ 0.98 करोड़ (0.02 प्रतिशत) का अधिक व्यय, समर्पण के पश्चात उपलब्ध बजट से किया गया।

बजट प्रावधान ₹ 11,002.18 करोड़, 104 योजनाओं के लिए किया गया जिसमें बजट का एक भाग पृथक (न्यूनतम 30 प्रतिशत) महिलाओं के केंद्रित कार्यों पर खर्च किया जाना था, जिसे बिना किसी उप शीर्ष या उद्देश्य शीर्ष के बनाया गया था। इस प्रकार, इन योजनाओं के तहत महिलाओं के ऊपर खर्च की गई वास्तविक राशि को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

**अनुशंसा:** वित्त विभाग को समय-समय पर जेंडर बजट योजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए, ताकि महिलाओं से संबंधित कार्यों हेतु प्रावधान का पूर्णतः उपयोग किया जा सकें और वास्तविक खर्च की जाँच के लिए अलग उप-शीर्ष और उद्देश्य-शीर्ष भी खोलना चाहिए।


## 1.2 राज्य के संसाधन

### 1.2.1 राज्य के वित्त लेखों के अनुसार राज्य के संसाधन

चार्ट 1.2, 1.3 और 1.4 वित्त लेखों में वर्णित राज्य के वित्तीय संसाधनों के विभिन्न परिक्षेत्र प्रस्तुत करता है।




चार्ट 1.2: संसाधनों की संरचना एवं उप घटक




(स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे 2018-19 और बजट अनुमान 2018-19)

चार्ट 1.3 : प्राप्तियों की प्रवृत्ति (₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

चार्ट-1.4: वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान प्राप्तियों की तुलना (₹ करोड़ में)



(स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे 2018-19)




### 1.2.2 राज्य बजट से अलग राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को राशि हस्तांतरण

भारत सरकार द्वारा 01 अप्रैल 2014 से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से संबंधित सभी सहायता राज्य शासन को दिये जाने का निर्णय लिया गया था। जबकि वर्ष 2017-18 में जारी राशि ₹ 6,490.81 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 6,381.79 करोड़ की केन्द्रीय राशि राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित की गई, पिछले वर्ष जारी राशि की तुलना में ₹ 109.02 करोड़ (1.68 प्रतिशत) के निधियों के प्रत्यक्ष हस्तांतरण में कमी हुई। मुख्यतः राशि, उन ईकाईयों को हस्तांतरित किया गया जो योजनाओं को क्रियान्वयन करती हैं, जो कि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत अनाज का विकेन्द्रीकृत खरीदी हेतु आर्थिक सहायता, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, अक्षय ऊर्जा-आफ ग्रिड, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना इत्यादि। चूंकि ये धनराशि राज्य बजट/राज्य कोषागार प्रणाली के माध्यम से पारित नहीं की गई थी, इसलिये राज्य के वित्त खातों में व्यय सम्मिलित नहीं किया गया था।

### 1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वर्ष 2014-19 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ तथा संरचना परिशिष्ट 1.6 तथा चार्ट 1.5 में दर्शायी गई है।



(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

वर्ष 2018-19 के दौरान, प्राप्ति में वृद्धि (₹ 5,448 करोड़, 9.13 प्रतिशत) मुख्यत रूप से राजस्व कर (₹ 1,533 करोड़), कर भिन्न राजस्व (₹ 1,363 करोड़) और संघीय करो का हिस्सा (₹ 2,704 करोड़) में ज्यादा प्राप्ति के कारण बढ़ोत्तरी हुई।

स.रा.घ.उ. और राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष राज्य के स्वयं का कर राजस्व की प्रवृत्ति तालिका 1.8 में दर्शाए गए है।

तालिका 1.8: स.रा.घ.उ. और राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष राज्य का स्वयं का कर राजस्व की प्रवृत्ति

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राज्य के स्वयं का कर राजस्व (₹ करोड़ में)	15,707	17,075	18,945	19,895	21,427
राज्य के स्वयं का कर राजस्व/स.रा.घ.उ. (प्रतिशत में)	7.10	7.51	7.44	7.00	6.88
राज्य के स्वयं का कर राजस्व/राजस्व प्राप्ति (प्रतिशत में)	41.35	37.07	35.39	33.35	32.92

जबकि राज्य का स्वयं का कर राजस्व 2014-15 में ₹ 15,707 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 21,427 करोड़ हो गया। स.रा.घ.उ. के संबंध में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का समानुपात 2017-18 में 7.00 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 6.88 प्रतिशत हो गया।

### 1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

14<sup>वें</sup> वित्त आयोग के आकलन एवं बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2018-19 हेतु राज्य की वास्तविक स्वयं का कर राजस्व और कर-भिन्न राजस्व तालिका 1.9 में दिया गया है।

तालिका 1.9: कर राजस्व तथा कर भिन्न राजस्व

	14 <sup>वें</sup> वित्त का अनुमान	बजट अनुमान	एफ.आर.बी.एम. अनुमान	वास्तविक (₹ करोड़ में)
कर राजस्व	31,862	26,030	26,030	21,427
कर-भिन्न राजस्व	6,116	8,170	8,170	7,703

(स्रोत: 14<sup>वें</sup> वि.आ. प्रतिवेदन, बजट दस्तावेज तथा राज्य के वित्त लेखे 2018-19)

#### 1.3.1.1 कर राजस्व

वर्ष 2014-19 के दौरान कर राजस्व का विवरण नीचे तालिका 1.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.10: कर राजस्व के घटक

राजस्व शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 में वृद्धि का प्रतिशत (₹ करोड़ में)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	8,429	8,908	9,927	6,450	4,088	(-)36.62
राज्य वस्तु एवं सेवा कर <sup>8</sup>	0.00	0.00	0.00	4,387	8,203	86.99
राज्य उत्पाद शुल्क	2,892	3,338	3,444	4,054	4,489	10.73
वाहनों पर कर	703	829	985	1,180	1,205	2.11
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	1,023	1,185	1,211	1,197	1,108	(-) 7.40
भू-राजस्व	332	364	504	446	488	9.32
माल एवं यात्रियों पर कर	982	1,040	1,340	478	55	(-) 88.60
विद्युत कर तथा शुल्क	1313	1373	1495	1689	1790	5.98
अन्य कर <sup>9</sup>	33	38	39	14	2	(-) 85.00
<b>योग</b>	<b>15,707</b>	<b>17,075</b>	<b>18,945</b>	<b>19,895</b>	<b>21,427</b>	<b>7.70</b>
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.51	8.71	10.95	5.01	7.70	

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

- वर्ष 2018-19 के दौरान स्वयं के कर राजस्व में 7.70 प्रतिशत की समग्र वृद्धि मुख्य रूप से राज्य के उत्पाद शुल्क (₹ 435 करोड़ से), भू-राजस्व (₹ 42 करोड़ से) एवं विद्युत कर तथा शुल्क (₹ 101 करोड़ से) वृद्धि के कारण थी।
- पिछले वर्ष के तुलना में 2018-19 के दौरान यह देखा गया कि राज्य उत्पाद शुल्क राजस्व कर पर, वार्षिक 10.73 प्रतिशत ₹ 435.03 करोड़ की वृद्धि हुई। यह वृद्धि प्रतिकारी शुल्क और शराब की खुदरा बिक्री, छत्तीसगढ़ पेय निगम लिमिटेड, द्वारा अधिग्रहण करने से हुई।

<sup>8</sup> जुलाई 2017 में वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के बाद राज्य वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत हुई।

<sup>9</sup> अन्य व्यय-होटल प्राप्तियाँ, आय तथा व्यय पर कर और सेवाओं तथा वस्तुओं पर कर।

- विद्युत कर एवं शुल्क के अंतर्गत प्राप्ति (₹ 101 करोड़ ) में वृद्धि उपभोक्ताओं के बकाया के संग्रह के कारण हुई।
- पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 के दौरान बिक्री कर, व्यापार आदि और वस्तु एवं यात्रियों पर कर में ₹ 2,362 करोड़ एवं ₹ 423 करोड़ की क्रमशः घटोत्तरी हुई, क्योंकि कर वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी) में शामिल हो गये जिसे 1 जुलाई 2017 को लागु किया गया था। पिछले वर्ष के तुलना में वर्ष के दौरान राज्य वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण ₹ 3,816 करोड़ का वृद्धि हुई।

### 1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व

वर्ष 2014-19 के दौरान कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों के विवरण नीचे तालिका 1.11 में दिये गये हैं।

तालिका 1.11: कर-भिन्न राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में बढ़ोत्तरी का प्रतिशत
गैर-लौह खदान और धातु कर्म उद्योग	3,572.68	3,709.52	4,141.47	4,911.44	6,110.24	24.41
वृहद सिंचाई	410.95	502.17	437.35	461.23	521.81	13.13
वानिकी तथा वन्य जीव	348.72	409.75	405.15	291.17	236.73	(-) 18.70
ब्याज प्राप्तियां	171.89	108.23	157.24	180.44	189.55	5.05
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां <sup>10</sup>	425.67	485.12	528.04	496.14	644.69	29.94
<b>योग</b>	<b>4,929.91</b>	<b>5,214.79</b>	<b>5,669.25</b>	<b>6,340.42</b>	<b>7,703.02</b>	<b>21.49</b>

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखें)

राजस्व प्राप्तियों में कर भिन्न राजस्व का हिस्सा वर्ष 2017-18 के दौरान 10.63 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2018-19 में बढ़कर 11.83 प्रतिशत हो गया। कर भिन्न राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान (₹ 1,363 करोड़: 21.49 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जोकि मुख्य रूप से गैर-लौह खनन और धातु कर्म उद्योगों में ₹ 1,199 करोड़ (24.41 प्रतिशत), अन्य कर भिन्न राजस्व (₹ 149 करोड़: 29.94 प्रतिशत) तथा वृहद सिंचाई (₹ 61.00 करोड़: 13.13 प्रतिशत) के कारण हुआ। गैर-लौह खनन और धातु कर्म उद्योगों में राजस्व के वृद्धि मुख्यतः कोयला तथा चुनापत्थर खनिजों के उत्पादन में वृद्धि के कारण हुई।

### 1.3.2 कर के संग्रहण की लागत

वर्ष 2018-19 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्तियों के संबंध में संग्रहण और लागत का विवरण तालिका 1.12 में दिया गया है।

<sup>10</sup> लघु सिंचाई, लोक निर्माण, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य, लाभांश (छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण निगम, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, इत्यादि) इत्यादि।

तालिका 1.12: कर और शुल्कों के संग्रहण की लागत

राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रह	राजस्व संग्रह पर व्यय	व्यय संग्रह का प्रतिशत	पिछले वर्ष के अखिल भारतीय औसत प्रतिशत में
		(₹ करोड़ में)		(प्रतिशत में)	
बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर	2014-15	8428.61	48.55	0.58	0.88
	2015-16	8908.36	50.81	0.57	0.91
	2016-17	9927.21	56.72	0.57	0.66
	2017-18	6449.60	67.24	1.04	0.69
	2018-19	4,087.72	62.73	1.53	0.69
वाहनों पर कर	2014-15	703.48	12.42	1.77	6.25
	2015-16	829.22	12.86	1.55	6.08
	2016-17	985.27	14.96	1.52	4.99
	2017-18	1180.01	15.51	1.31	2.01
	2018-19	1,204.85	18.86	1.57	2.61
राज्य उत्पाद शुल्क	2014-15	2892.45	59.74	2.07	1.81
	2015-16	3338.40	58.79	1.76	2.09
	2016-17	3443.51	131.46	3.82	3.21
	2017-18	4054.00	171.67	4.23	2.61
	2018-19	4,489.03	71.66	1.60	1.83
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	2014-15	1023.33	27.00	2.64	3.37
	2015-16	1185.22	25.14	2.12	3.59
	2016-17	1211.35	24.78	2.05	2.87
	2017-18	1197.47	22.27	1.86	2.99
	2018-19	1,108.46	18.38	1.66	2.96

(महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के राजस्व लेखापरीक्षा अनुभाग द्वारा संकलित जानकारी)

वर्ष 2018-19 में, छत्तिसगढ़ की बिक्री, व्यापार आदि पर करों के संग्रह की लागत (1.53 प्रतिशत) पिछले वर्ष के अखिल भारत औसत से अधिक थी। हालांकि छत्तिसगढ़ की वाहनों पर करों के संग्रह की लागत (1.57 प्रतिशत), राज्य उत्पादों पर करों के संग्रह की लागत (1.60 प्रतिशत) और मुद्रांक तथा पंजीयन शुल्क पर करों के संग्रह की लागत (1.66 प्रतिशत) अखिल भारत औसत से कम थी।

### 1.3.3 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार को सहायता अनुदान और संघीय कर एवं शुल्कों का हिस्सा मिलता है। भारत सरकार से सहायता अनुदान का विवरण तालिका 1.13 में नीचे दिया गया है।

तालिका 1.13: भारत सरकार द्वारा जारी सहायता अनुदान

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
आयोजनेत्तर अनुदानों	1,568.28	2,328.79	2,013.42		
राज्य योजना स्कीम के लिये अनुदानों	6,435.44	4,775.83	7,785.03		
केन्द्र योजना स्कीम के लिये अनुदानों (केन्द्र प्रवर्तित योजना स्कीम के लिये सहित)	984.08	956.97	463.18		
केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुदानों				9,275.76	8,214.77
वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान				1,460.23	1,679.48
अन्य हस्तांतरण/राज्यों को अनुदान				1,921.17	2,611.70
<b>कुल</b>	<b>8,987.80</b>	<b>8,061.59</b>	<b>10,261.63</b>	<b>12,657.16</b>	<b>12,505.95</b>
राजस्व प्राप्तियां	37,988	46,068	53,685	59,647.07	65,094.93
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल अनुदान	23.66	17.50	19.11	21.22	19.21

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

योजना तथा योजनेत्तर व्यय का विलियन के पश्चात् 1 अप्रैल 2017 से उप-शीर्षों के लेखा प्रणाली में सुधार हेतु '01 योजनेत्तर अनुदान', '02 राज्य योजना के लिये अनुदान', '03 केन्द्र योजना के लिये अनुदान' तथा '04 केन्द्र प्रवर्तित योजन के लिये अनुदान' को समाप्त किया गया। वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार ने विभिन्न उप-मुख्य शीर्षों 'केन्द्र प्रवर्तित योजन के लिये अनुदान' (₹ 8,214.77 करोड़), 'वित्त आयोग के अनुदान' (₹ 1,679.48 करोड़) और अन्य 'हस्तांतरण/अनुदान' (₹ 2,611.70 करोड़) सहायता अनुदान प्राप्त किया।

### 1.3.3.1 : केन्द्रीय सड़क निधि का कम हस्तांतरण

केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ) से संबंधित लेखांकन प्रक्रिया मुख्य और लघु शीर्षों के सूची के अंतर्गत निर्धारित है। मौजूदा लेखा प्रक्रिया के संदर्भ में अनुदानों को शुरू में मुख्य शीर्ष '1601 सहायता अनुदान' के तहत राजस्व प्राप्तियों के रूप में बुक किया जाता है, और राजस्व व्यय मुख्य शीर्ष '3054 सड़क एव पुल' के प्रतिपक्षी डेबिट द्वारा एक समतुल्य राशि लोक लेखा के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष '8449-अन्य जमा - 103 केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता' में हस्तांतरित कर दी जाती है।

जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार भारत सरकार 2018-19 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि से ₹ 214.02 करोड़ जारी किये। जिसमें से मात्र ₹ 200.00 करोड़ राज्य सरकार द्वारा '8449-अन्य जमा - 103 केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता' को लोक लेखा में हस्तांतरित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 14.02 करोड़ राजस्व आधिक्य की अव्यक्ति एवं वित्तीय घाटे की नियुक्ति हुई।

### 1.3.4 केन्द्रीय कर हस्तांतरण

विवरण तालिका 1.14 में नीचे दिया गया है।

तालिका 1.14: केन्द्रीय कर अंतरण की प्रवृत्ति

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	..	..	..	291.44	5,789.33
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	..	..	..	2,094.36	462.00
निगम कर	2,920.41	4,950.08	6,019.53	6,352.98	8,157.09
निगम कर के भिन्न आय पर कर	2,085.45	3,455.09	4,183.59	5,364.62	6,007.35
आय एवं व्यय पर अन्य करों	0.07	0.09	0.00	0.00	42.48
धन कर	7.88	0.92	13.78	(-) 0.19	2.98
सीमा शुल्क	1,352.54	2,504.03	2,589.37	2,093.70	1,662.66
संघ उत्पाद शुल्क	763.73	2,069.99	2,956.84	2,188.50	1,104.93
सेवा कर	1,232.95	2,727.11	3,045.99	2,369.40	217.76
वस्तु तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	..	9.16	0.06	0.00	12.11
<b>कुल केन्द्रीय कर हस्तांतरण</b>	<b>8,363.03</b>	<b>1,5716.47</b>	<b>18,809.16</b>	<b>20,754.81</b>	<b>23,458.69</b>
<b>राजस्व प्राप्तियों में केन्द्रीय कर हस्तांतरण के हिस्सा</b>	<b>22.01</b>	<b>34.12</b>	<b>35.04</b>	<b>34.80</b>	<b>36.04</b>

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

वर्ष 2018-19 के दौरान पिछले वर्ष से केन्द्रीय कर हस्तांतरण में वृद्धि मुख्य रूप से केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (₹ 5,789 करोड़), निगम कर (₹ 8,157 करोड़) और निगम कर के भिन्न आय पर कर (₹ 6,007 करोड़) के अंतर्गत हुआ। जबकि करों का संकलन मुख्य रूप से सेवा कर (₹ 218 करोड़), एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (₹ 462 करोड़), संघ उत्पाद शुल्क (₹ 1,105 करोड़), और सीमा शुल्क (₹ 1,663 करोड़) के अंतर्गत कम हुआ।

### 1.3.5 वस्तु एवं सेवा कर

राज्य सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया है। वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अनुसार केन्द्र सरकार राज्यों द्वारा जीएसटी लागू किये जाने के कारण पाँच सालों में हुई राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति करेगी। राज्यों को देय क्षतिपूर्ति की गणना, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बाद प्राप्त अंतिम राजस्व आंकड़े, जिनकी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षा के द्वारा लेखापरीक्षा की गयी है, के आधार पर की जाती है। वस्तु एवं सेवा कर के करों के राजस्व आंकड़े वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत अंतिमीकृत किये गये थे। छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में आधार वर्ष 2015-16 के दौरान राजस्व ₹7,357.43 करोड़ थे राज्य के किसी वर्ष के अनुमानित राजस्व की गणना राज्य के आधार वर्ष के राजस्व पर अनुमानित वृद्धि दर (14 प्रतिशत प्रतिवर्ष) का लागू करके की जायेगी।

आधार वर्ष के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए अनुमानित राजस्व का आंकड़ा ₹ 10,900.32 करोड़ था। 2018-19 के राजस्व के आंकड़ें प्राप्ति की प्रकृति के अनुसार वित्त लेखों में प्रदर्शित किये गये हैं जैसे कि राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी), एवं एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई.जी.एस.टी) का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रॉस उपयोग, आईजीएसटी का कर भाग का एसजीएसटी में हस्तांतरण का विभाजन और आईजीएसटी का अग्रिम विभाजन राज्य सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 के दौरान अनुमानित राजस्व ₹ 10,900.32 करोड़ के विरुद्ध राज्य सरकार के ₹8,203.40 करोड़ राजस्व प्राप्ति हुई। राज्य सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि के लिए भारत सरकार से ₹ 2,261 करोड़ का क्षतिपूर्ति भी प्राप्त किया।

#### 1.3.5.1 वस्तु एवं सेवाकर डाटा तक पहुँच

वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी) के स्वचालित संग्रहण के प्रारंभ होने से लेखापरीक्षा के लिए यह आवश्यक है कि सभी लेनदेनों की नमूना जांच के स्थान पर व्यापक जांच की और बढ़ा जाय, जिससे लेखों के प्रमाणीकरण के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संवैधानिक आदेश का परिपालन किया जा सके। डाटा तक वांछित पहुँच अभी प्रदान किया जाना बाकी है। वस्तु एवं सेवाकर के सभी लेनदेनों के डाटा तक पहुँच न होने के कारण वस्तु एवं सेवाकर प्राप्तियों की व्यापक लेखापरीक्षा में कठिनाई हो रही है। अतः वर्ष 2018-19 के लेखे, नमूना लेखापरीक्षा के आधार पर एक बार अपवाद के रूप में, उसी प्रकार प्रमाणित किये गये हैं जैसा कि अभिलेखों के मैनुअल रूप में रखरखाव के समय किये जाते थे।

**अनुशंसा:** सरकार को भारत सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति की शेष राशि वापसी के लिए कार्य करना चाहिए।

## राजस्व का कम संग्रहण

### 1.3.6 बकाया राजस्व

बकाया राजस्व की राशि का विवरण नीचे तालिका 1.15 में दिया गया है

तालिका 1.15: बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	कुल बकाया राशि		पाँच वर्ष से अधिक की बकाया राशि	
		31 मार्च 2018 की स्थिति	31 मार्च 2019 की स्थिति	31 मार्च 2018 की स्थिति	31 मार्च 2019 की स्थिति
1	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	2,459.64	2,969.00	1,074.29	1,231.99
2	राज्य उत्पाद शुल्क	51.20	52.50	26.49	27.84
3	वाहनों पर कर	27.72	9.77	8.06	8.06
4	मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	54.17	126.84	15.37	0.00

भू-राजस्व विभाग, ऊर्जा विभाग, गैर लौह खदान और धातु क्रम उद्योग वन तथा वन्यजीव विभाग ने बकाया राजस्व की आवश्यक जानकारी प्रस्तुत नहीं की।

**अनुशसा:** वित्त विभाग को बकाया राजस्व की तेजी से वसूली के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए।

### 1.4 पूंजीगत श्रेणी के अंतर्गत प्राप्तियाँ

पूँजी भाग के अंतर्गत वर्ष 2014-19 के दौरान प्राप्तियों की प्रवृत्ति तालिका 1.16 एवं परिशिष्ट 1.6 में दिया गया है।

तालिका 1.16: पूंजीगत श्रेणी के अंतर्गत प्राप्तियों के घटक तथा वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	3.03	2.84	2.37	3.32	5.26
ऋण तथा अग्रिमों की वसूली (₹ करोड़ में)	194.86	296.39	172.99	138.59	162.32
अंतर्राज्यीय परिशोधन (₹ करोड़ में)	0.91	0.52	0.38	1.24	0.56
<b>(अ) कुल गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)</b>	<b>198.80</b>	<b>299.75</b>	<b>175.74</b>	<b>143.15</b>	<b>168.14</b>
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-87.95)	50.78	(-41.37)	(-18.54)	17.46
आंतरिक ऋण (₹ करोड़ में)	6,430.98	7,105.87	5,098.40	9,187.89	13,816.66
केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम (₹ करोड़ में)	8.69	145.28	381.53	464.55	553.44
<b>(ब) लोक ऋण (₹ करोड़ में)</b>	<b>6,439.67</b>	<b>7,251.15</b>	<b>5,479.93</b>	<b>9,652.44</b>	<b>14,370.10</b>
<b>पूँजीगत प्राप्तियाँ (अ+ब) (₹ करोड़ में)</b>	<b>6,638.47</b>	<b>7,550.90</b>	<b>5,655.67</b>	<b>9,795.59</b>	<b>14,538.24</b>
लोक ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	63.78	12.60	(-24.43)	76.14	48.88
वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.ड. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	6.91	2.83	12.02	11.57	9.66
पू.प्रा. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	18.93	13.74	(-25.10)	73.20	48.42

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2018-19 के दौरान कोई भी विनिवेश नहीं किया गया एवं सहकारी संस्थाओं द्वारा पूंजीगत भाग के निवेश से वापस के कारण विभिन्न पूंजीगत प्राप्तियाँ हुईं।

लोक ऋण प्राप्तियों में वृद्धि आंतरिक ऋणों प्राप्तियों में 50.38 प्रतिशत की वजह से हुई जो बाजार ऋणों के कारण हुई जिसका विस्तृत विवरण तालिका -1.17 में किया गया।



#### 1.4.1 ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ

वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 162.32 करोड़ ऋण की वसूली मुख्य रूप से जल आपूर्ति एवं स्वच्छता (₹ 91 करोड़), शहरी विकास (₹ 42 करोड़) एवं खाद्य भण्डारण एवं भण्डागार (₹ 28 करोड़) से हुई।

#### 1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.17 में दिया गया है।

तालिका:1.17 राज्य सरकार के आंतरिक ऋण के घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बाजार ऋण	4,200.00	4,850.00	4,200.00	8,100.00	12,899.99
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्र	0.00	870.12	0.00	0.00	0.00
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	796.13	673.52	898.40	1,087.89	916.67
राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	658.81	712.23	0.00	0.00	0.00
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्धोपाय अग्रिम	776.04	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>योग</b>	<b>6,430.98</b>	<b>7,105.87</b>	<b>5,098.40</b>	<b>9,187.89</b>	<b>13,816.66</b>

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

राज्य सरकार द्वारा निवेश और ऋण एवं अग्रिम की तुलना में उच्च ब्याज दर पर उधार लेने के प्रभाव की चर्चा कण्डिका 1.8.3 एवं 1.8.4 में की गई है।

#### 1.4.3 भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम

वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार से ₹ 553.44 करोड़ ऋण एवं अग्रिम मुख्यतः छत्तीसगढ़ सड़क क्षेत्र विकास परियोजना क्रम-II (₹ 549.23 करोड़) और सतत शहरी परिवहन योजना (₹ 3.73 करोड़) के लिए प्राप्त हुये।

### 1.5 लोक लेखे की शेष राशि

लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा तथा अग्रिम उचंत और प्रेषण इत्यादि के तहत प्राप्तियाँ और वितरण जो राज्य के समेकित निधि का हिस्सा नहीं होती है संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखी जाती है और न ही राज्य विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं होता है। यहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। लोक लेखे के तहत प्राप्तियों और वितरण की स्थिति वित्तीय लेखे के विवरण-21 में दिखायी गई है और लोक लेखे (निवल) का विवरण तालिका 1.19 में दिखायी गई है।

तालिका 1.18:- निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ तथा इसके घटक

(₹ करोड़ में)

स.क्र	लोक लेखा प्राप्तियाँ	प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल लोक प्राप्तियाँ
1	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1,649.09	894.58	754.51
2	आरक्षित निधियाँ	814.87	650.08	164.79
3	जमा तथा अग्रिम	4,118.33	4,349.72	(-)231.39
4	उचन्त और विविध	1,59,728.76	1,65,438.71	(-) 5,709.95
	घटाइये- विभागीय शेष	3.30	5.51	(-) 2.21
	घटाइये - स्थाई अग्रदाय	0.00	0.00	0.00
	घटाइये - रोकड़ शेष निवेश	99,263.06	1,04,951.22	(-) 5,688.16
	कुल- उचन्त और विविध	60,462.40	60,481.97	(-) 19.58
5	प्रेषण	9,858.07	9,980.50	(-)122.43
	<b>योग (1 से 5 तक)</b>	<b>76,902.76</b>	<b>76,356.85</b>	<b>545.90</b>


(स्रोत: वर्ष 2018-19 वित्त लेखे)

घाटे के वित्तीय में निधि की शुद्ध उपलब्धता के अंतर्गत लघु बचत, जमा तथा अग्रिम और प्रेषण का प्रमुख भाग है। इसका अलावा, नकद शेष निवेश नकद शेष निवेश खाते के अंतर्गत शुद्ध संवितरण, वर्ष 2018-19 के दौरान नकद शेष निवेश खाते के तहत आयोजित निवेश (₹ 5,688.16 करोड़) में अधिशेष नकदी शेष की उपलब्धता के कारण हुई वृद्धि का इंगित करता है जिसका कंडीका 1.8.5 में चर्चा की गई है।

## 1.6 संसाधनों का उपयोग

### व्यय की वृद्धि तथा संरचना

चार्ट 1.6 वर्ष 2014-19 के दौरान क्रमशः कुल व्यय के प्रवृत्ति एवं संरचना को दर्शाता है।



(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखें)

### 1.6.1 पूँजीगत व्यय

वर्ष 2014-19 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का पूँजीगत व्यय से अनुपात तालिका 1.19 में दिखाया गया है।

तालिका 1.19 पूँजीगत व्यय का स.रा.घ.उ. के साथ अनुपात

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पूँजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	6,544	7,945	9,471	10,001	8,903
पूँजीगत व्यय का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात (प्रतिशत में)	2.96	3.49	3.72	3.52	2.86

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान पूँजीगत व्यय (₹ 1,098 करोड़; 10.97 प्रतिशत) घट गया जोकि मुख्य रूप से जलप्रदाय, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास (₹ 404 करोड़) तथा ऊर्जा (₹ 230 करोड़) पर पूँजीगत परिव्यय में कमी के कारण हुआ।

पूँजीगत व्यय के अंतर्गत जलप्रदाय, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय में कमी मुख्यतः 'अटल नगर विकास प्राधिकरण', ग्लोबल एनव्हाइरनमेन्ट फण्ड से सहायत प्राप्त राज्य शहरी परिवहन परियोजना तथा शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत अद्योसंरचना पर व्यय कम होने के कारण हुई। पूँजीगत व्यय के अंतर्गत ऊर्जा में कमी मुख्यतः ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत 'मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण' पर व्यय कम होने के कारण हुई। जबकी, इसी वर्ष संचार के पूँजीगत व्यय में ₹ 206 करोड़ वृद्धि हुई।

### 1.6.2 राजस्व व्यय

वर्ष 2017-18 में 84 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2018-19 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 88 प्रतिशत हुआ। वर्ष 2018-19 के दौरान राजस्व व्यय स.रा.घ.उ. का 21 प्रतिशत था। पिछले वर्ष 2017-18 के राजस्व व्यय ₹ 56,230 करोड़ की तुलना में वर्ष 2018-19 में बढ़कर ₹ 64,411 करोड़ (₹ 8,181 करोड़, 14.55 प्रतिशत) हो गया जो कि मुख्य रूप से आर्थिक सेवाओं में ₹ 7,158 करोड़ की वृद्धि के कारण हुआ।

### 1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय के मुख्य रूप से वेतन मजदूरी, सब्सिडी, पेंशन और ब्याज पर व्यय शामिल होता है। तालिका 1.20 में वर्ष 2014-19 के दौरान इन घटकों पर व्यय में प्रवृत्ति प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.20: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरी	10,003 (26)	10,865(24)	11,424 (21)	13,184(22)	16,444	17,808 (27)
सहायता अनुदान से वेतन का भुगतान	2,010 (5)	2,305(5)	2,868 (5)	3,447(6)	एन.ए.	1,593 (2)
ब्याज भुगतान	1,727(5)	2,149 (5)	2,687 (5)	3,098(5)	3,747	3,653 (6)
पेंशन	3,249 (9)	3,519 (8)	3,487 (6)	3,898(7)	5,335	5,429 (8)
सब्सिडी	3,747 (10)	7,397 (16)	4,189(8)	5,005(8)	5,989	8,323 (13)
<b>कुल</b>	<b>20,736 (55)</b>	<b>26,235 (57)</b>	<b>24,655(46)</b>	<b>28,632(48)</b>	<b>31,515</b>	<b>36,806 (57)</b>

(स्रोत:- संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

कोष्ठक राजस्व प्राप्ति को प्रतिशत इंगित करता है।

एन.ए. बजट अनुमान में उपलब्ध नहीं है।

वेतन एवं मजदूरी (₹ 17,808 करोड़), सब्सिडी (₹ 8,323 करोड़) और पेंशन (₹ 5,429 करोड़) कुल मिलाकर राजस्व व्यय के 49 प्रतिशत रहा तथा वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्ति का 48 प्रतिशत उपयोग किया।

#### वेतन एवं मजदूरी

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय वर्ष 2017-18 में ₹ 13,184 करोड़ का हुआ था, जो कि वर्ष 2018-19 में 35 प्रतिशत (₹ 4,624 करोड़) बढ़कर ₹ 17,808 करोड़ हो गया जिसका मुख्य रूप से वेतन आयोग के बकाया राशि की किस्त के भुगतान के कारण हुई। सहायता अनुदान से भुगतान किया गया वेतन वर्ष 2017-18 में हुये व्यय ₹ 3,447 करोड़ से घटकर (₹ 1,854 करोड़) वर्ष 2018-19 में ₹ 1,593 करोड़ हो गया।

#### ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान की वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक थी, जो कि मुख्य रूप से बाजार ऋण ₹ 566.51 करोड़ (34 प्रतिशत) पर ब्याज की तेज वृद्धि के कारण हुई थी। वर्ष 2018-19 के दौरान ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का छः प्रतिशत था। वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 के दौरान ब्याज भुगतान के प्रमुख घटक नीचे तालिका 1.21 में दिए गए हैं।

तालिका 1.21:- ब्याज भुगतान के घटक

(₹ करोड़ में)

घटक	2017-18			2018-19		
	बकाया दायित्व	ब्याज भुगतान	भुगतान किया गया ब्याज बकाया के प्रतिशत के रूप में	बकाया दायित्व	ब्याज भुगतान	भुगतान किया गया ब्याज बकाया के प्रतिशत के रूप में
आंतरिक ऋण	36,690.44	2,474.18	6.74	49,553.83	2,958.53	5.97
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,339.57	133.83	5.72	2,700.39	139.48	5.17
लघु बचत भविष्य निधि आदि	6075.40	419.55	6.91	6,832.42	488.85	7.15
अन्य	7,801.67	70.77	0.91	7,662.87	65.68	0.86
<b>कुल</b>	<b>52,907.08</b>	<b>3,098.33</b>	<b>5.86</b>	<b>66,749.51</b>	<b>3,652.54</b>	<b>5.47</b>

(स्रोत:- संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

### पेंशन भुगतान

शासकीय कर्मचारी जो 1 नवम्बर 2004 को या इसके पश्चात नियुक्त हुए हैं उन्हें नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया जो कि परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। योजना के दिशानिर्देशानुसार कर्मचारी मूलवेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत का अंशदान करता है एवं इसके समतुल्य राज्य शासन का अंशदान होता है तथा संपूर्ण राशि निश्चित निधि प्रबंधक के माध्यम से नेशनल सिक्वोरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक में स्थानांतरित किया जाता है।

मार्च 2006 से नवीन पेंशन योजना में योगदान के साथ दिसंबर 2004 से फरवरी 2006 तक बकाया अंशदान की कटौती की गई है। वर्ष 2006-19 के दौरान कर्मचारियों के अंशदान ₹ 2,457.90 करोड़ के सापेक्ष, राज्य शासन ₹ 2,445.26 करोड़ बकाया जमा किया जो कि ₹ 12.64 करोड़ कम था।

31 मार्च 2019, की स्थिति में ₹ 17.14 करोड़ (प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारियों का अंशदान ₹ 3.10 करोड़ सम्मिलित) लोक लेखे से एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक, में स्थानांतरित के लिए बकाया थे। ₹ 12.64 करोड़ का संक्षिप्त योगदान और ₹ 17.14 करोड़ गैर हस्तांतरण के परिणामस्वरूप राज्य शासन को ₹ 29.78 करोड़ की देयता की अनावश्यक सृजन हुई। इसके अलावा, राज्य सरकार ने एन.एस.डी.एल को हस्तांतरित नहीं की गई राशि पर ब्याज देयता सृजित की है, जिससे भविष्य में सरकार को कर्मचारियों/प्रतिदेय वित्तीय देयता की वापसी में संभावित अरिश्चितता हो सकती है और इस प्रकार याजना की संभावित विफलता के लिये खुद का प्रेरित करना होगा।

**अनुशंसा:** राज्य शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियोक्ता के हिस्से के साथ कर्मचारियों का योगदान तुरंत एन.एस.डी.एल. में स्थानांतरित कर दिया जाए।

### सब्सिडी

वर्ष 2018-19 में सब्सिडी ₹ 8,323.01 करोड़, राजस्व प्राप्तियों (₹ 65,095 करोड़) की 12.73 प्रतिशत रही। इन सब्सिडी के अंतर्गत प्रमुख गतिविधियों मुख्यतः अल्पावधी कृषि ऋण माफी योजना (₹ 3,000 करोड़), मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना (₹ 2,770 करोड़), पाँच हॉर्स पावर के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय (₹ 827 करोड़), और राज्य सहकारी विपणन महासंघ को खाद्य खरीदी पर नुकसान की पूर्ति (₹ 500 करोड़) के लिये थी।

कुछ सब्सिडी वर्ष 2018-19 में सहायता अनुदान (प्रकार में) के रूप में तालिका 1.22 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.22: राज्य शासन द्वारा दिया गया सहायता अनुदान (प्रकार में)

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	योजनाएं	2017-18	2018-19
स्कूल शिक्षा	हाईस्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय	59.41	22.79
स्कूल शिक्षा	निःशुल्क शालेय पुस्तकों का प्रदाय	88.14	0.49
स्कूल शिक्षा	अनुसूचित जनजाति छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकों एवं स्टेशनरी का वितरण	0.68	0.45
कृषि	पाँच एच.पी. के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय	849.67	818.23
संचार	तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विद्यार्थियों को निःशुल्क लेपटॉप/टेबलेट का प्रदाय	47.07	29.14
<b>योग</b>		<b>1,044.97</b>	<b>871.10</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

**1.7 व्यय की गुणवत्ता**

विकासात्मक व्यय (सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय) कुल व्यय का 78 प्रतिशत है। यह सामाजिक क्षेत्र में राजस्व एवं पूँजीगत व्यय में कमी के बावजूद हुई।

**1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता**

वर्ष 2014-15 को आधार वर्ष रखते हुए वर्ष 2018-19 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक सेवा व्यय तथा पूँजीगत व्यय के परिपेक्ष्य में राज्य शासन के राजकोषीय प्राथमिकता की समीक्षा तालिका 1.23 में की गई है।

तालिका 1.23: वर्ष 2014-15 एवं 2018-19 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	ईई/स.रा.घ.उ.	डीई <sup>#</sup> /ईई	एसएसई/ईई	सीई/ईई	शिक्षा/ईई	ईएसई/ईई	स्वास्थ्य/ईई
<b>औसत (अनुपात) 2014-15</b>							
सामान्य श्रेणी राज्य	15.99	68.51	36.15	14.02	32.36	16.54	4.92
छत्तीसगढ़	20.89	77.73	36.74	14.36	40.99	20.60	5.05
<b>औसत (अनुपात) 2018-19</b>							
सामान्य श्रेणी राज्य	16.05	67.04	36.59	14.28	30.45	14.99	5.07
छत्तीसगढ़	23.60	77.66	34.42	12.10	43.24	17.68	5.11

ईई: सकल व्यय, डीई-विकास व्यय, एसएसई: सामाजिक क्षेत्र व्यय, सीई: पूँजीगत व्यय, ईएसई: आर्थिक क्षेत्र व्यय <sup>#</sup>विकास व्यय के अंतर्गत विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय एवं वितरित विकासात्मक ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।

वर्ष 2018-19 में सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता को दर्शाता है कि, सामाजिक क्षेत्र व्यय और पूँजीगत व्यय के क्षेत्र को छोड़कर छत्तीसगढ़ राज्य सामान्य श्रेणी के राज्य के औसत से बेहतर था, राज्य सामान्य श्रेणी के राज्यों से पिछड़ गया।

**1.7.2 व्यय के उपयोग की कुशलता**

तालिका 1.24 पिछले वर्ष के बजट राशि एवं व्यय के साथ-साथ वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य का सकल व्यय के सापेक्ष में विकास व्यय की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।

तालिका 1.24: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2017-18	
					बजट अनुमान	वास्तविक
विकास राजस्व व्यय	29,541 (64)	32,392 (63)	35,518 (61)	41,995 (63)	50,652	48,236
विकास पूँजीगत व्यय	6,287 (14)	7,582 (15)	9,283 (16)	9,698 (15)	13,920	8,648
विकास ऋण एवं अग्रिम	78	164	273	169	303	240
<b>कुल विकास व्यय</b>	<b>35,906 (78)</b>	<b>40,138 (77)</b>	<b>45,074 (78)</b>	<b>51,862 (78)</b>	<b>64,875</b>	<b>57,124 (78)</b>
सकल व्यय (आरई+सीई+एल एवं ए)	46,195	51,811	57,968	66,600		73,555

कोष्टक में दिये गये आँकड़े कुल व्यय का प्रतिशत दर्शाता है।

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

### 1.7.3 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय

तालिका 1.25 में पूँजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के घटक जो चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अनुरक्षण पर व्यय के विवरण को प्रदर्शित करता है।

तालिका 1.25: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय के उपयोग की कुशलता

(प्रतिशत में)

सामाजिक / आर्थिक अधोसंरचना	2017-18			2018-19		
	पूँजीगत व्यय का कुल व्यय से अनुपात	राजस्व व्यय के अंश में		पूँजीगत व्यय का कुल व्यय से अनुपात	राजस्व व्यय के अंश में	
		अनुरक्षण व्यय	वेतन एवं मजदूरी		अनुरक्षण	वेतन एवं मजदूरी
<b>कुल सामाजिक सेवाएं जिनमें</b>	<b>3.98</b>	<b>0.34</b>	<b>28.13</b>	2.41	<b>0.32</b>	<b>44.96</b>
सामान्य शिक्षा	1.00	0.12	36.56	0.67	0.11	63.84
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.60	0.65	43.10	0.29	0.59	47.47
जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं आवास एवं शहरी विकास	1.64	0.66	2.57	0.94	0.21	3.68
<b>कुल आर्थिक सेवाएं जिनमें</b>	<b>10.58</b>	<b>2.44</b>	<b>12.72</b>	<b>9.35</b>	<b>1.96</b>	<b>9.42</b>
कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	0.13	0.48	16.61	0.12	0.15	8.43
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2.52	11.63	51.70	2.16	15.87	50.81

(स्रोत: विगत वर्षों के वित्त लेखे)

### 1.8 शासकीय व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण

यह खण्ड शासन द्वारा किये गये निवेश एवं अन्य पूँजीगत व्यय का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

#### 1.8.1 सिंचाई परियोजनाओं का वित्तीय परिणाम

13<sup>वें</sup> एव 14<sup>वें</sup> वित्त आयोग ने सिंचाई परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यवहार्यता का आंकलन करने के लिए इन सिंचाई परियोजनाओं (राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियों) पर लागत वसूली दर निर्धारित की थी। 2014-19 की अवधि के लिए राज्य में सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति तालिका 1.26 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.26: सिंचाई परियोजनाओं में लागत वसूली की स्थिति

वर्ष	राजस्व व्यय	राजस्व प्राप्तियां	13 <sup>व</sup> एव 14 <sup>व</sup> वित्त आयोग के लागत वसूली का आंकलन	राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियां	लागत वसूली में अंतर
	₹ करोड़ में		प्रतिशत में		
2014-15	448.12	544.85	75	122	(-)47
2015-16	486.45	630.18	35	130	(-)95
2016-17	508.63	624.47	35	123	(-)88
2017-18	531.51	588.88	35	111	(-)76
2018-19	564.84	697.19	35	123	(-) 88

राज्य सरकार ने वित्त आयोग के दिशानिर्देशों के तहत किसी सिंचाई परियोजना को वाणिज्यिक के रूप में घोषित नहीं की इसके पश्चात् भी लागत वसूली का हिस्सा अनुकूल हुई।

**अनुशंसा:** राज्य सरकार वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार लागत वसूली का आंकलन हेतु सिंचाई परियोजनाओं को वाणिज्यिक के रूप में घोषित करने के माध्यमों का उपयोग कर सकती है।

### 1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएं

अपूर्ण परियोजनाओं जिसका लागत ₹ 10 करोड़ और उससे उपा की जानकारी जो 31 मार्च 2019 तक या उससे पहले पूर्ण होने थे, तालिका 1.27 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.27 विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं की रूपरेखा

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	अपूर्ण परियोजनायें				31 मार्च 2019 को 107 अपूर्ण परियोजनाओं का संचयी व्यय
			40 अपूर्ण परियोजनाओं की प्रारंभिक अनुमानित लागत संशोधित	40 अपूर्ण परियोजनाओं की संशोधित लागत	प्राक्कलित लागत के पुनरीक्षण के पश्चात् 40 अपूर्ण परियोजनाओं की कुल लागत		
			क्र.	राशि			
लोक निर्माण	10	307.69	2	151.61	551.20	399.59	496.65
जल संसाधन	97	3,379.91	38	1,486.88	4,051.26	2,564.38	3,868.34
<b>योग</b>	<b>107</b>	<b>3,687.60</b>	<b>40</b>	<b>1,638.49</b>	<b>4,602.46</b>	<b>2,963.97</b>	<b>4,364.99</b>

(स्रोत: वित्त लेख 2018-19)

अपूर्ण निर्माण कार्यों पर निधियों का अवरोधन नकारात्मक रूप से व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। परियोजना के निर्माण कार्य के पूर्णता में विलंब से लागत वृद्धि का जोखिम बढ़ जाता है। चूंकि राज्य सरकार ने 67 अपूर्ण परियोजनाओं की लागत का मूल्यांकन नहीं किया है, इसलिए राज्य द्वारा किये जाने वाले व्यय की वास्तविक राशि का पता नहीं लगाया जा सका। जिससे परियोजना का वांछित लाभ नहीं पाया जा सका।

**अनुशंसा:** लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग सभी अपूर्ण परियोजनाओं की लागत का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं और परियोजनाओं को समय पर पूरा होने के लिए एक तंत्र विकसित कर सकते हैं।

### 1.8.3 निवेश एवं प्रतिफल

वर्ष 2014-19 के दौरान निवेश पर प्रतिफल की स्थिति तालिका 1.28 में दर्शाया गया है।



तालिका 1.28: निवेश पर प्राप्त लाभांश/ब्याज

निवेश/प्रतिफल/उधार की लागत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वर्ष के अन्त में निवेश (₹ करोड़ में)	1,872.53	6,192.22	6,778.60	6,866.37	7,268.04
निवेश पर प्रतिफल (₹ करोड़ में)	0.86	5.73	0.55	4.80	1.49
निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत में)	0.05	0.09	0.01	0.07	0.02
शासकीय उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	6.16	6.25	6.62	6.38	6.10
ब्याज दर एवं प्रतिफल के बीच अंतर (प्रतिशत में)	6.11	6.16	6.61	6.31	6.08
बाजार ऋण के ब्याज दर एवं प्रतिफल पर प्राप्त ब्याज के बीच अंतर से हानि	114.41	381.44	448.07	433.27	441.90

पिछले पाँच वर्षों में राज्य शासन को शासकीय ऋण पर ब्याज एवं निवेश के प्रतिफल के अंतर के रूप में ₹ 1,819.09 करोड़ को हानि हुई। यह गौर करने की बात है कि निवेश पर खराब प्रतिफल के बावजूद भी वित्त विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को इक्विटी, ऋण, अनुदान/आर्थिक सहयता द्वारा नियमित रूप से बजटीय समर्थन प्रदान किया। यद्यपि इन्होंने अपने लेखों का अतिमीकरण नहीं किया।

**अनुशांसा:** राज्य शासन को उन कंपनियों/निगमों/बैंकों में निवेश की समीक्षा करनी चाहिए, जिनका वित्तीय प्रदर्शन पूंजी की उधार लागत को पूरा नहीं करता है।

#### 1.8.4 राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कंपनियों में निवेशों के अतिरिक्त शासन इनमें से बहुत से संस्थाओं/संगठनों को भी ऋण तथा अग्रिम प्रदान करती रही है। विवरण तालिका 1.29 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.29 : राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम पर प्राप्त औसत ब्याज (₹ करोड़ में)

ऋणों की प्रमात्रा/ब्याज प्राप्तियाँ/उधारियों की लागत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
प्रारंभिक शेष	1,545.99	1,395.41	1,273.96	941.98	1,519.63 <sup>11</sup>
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम	88.32	164.73	272.71	368.76	240.44
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान राशि	194.86	296.39	172.99	138.59	162.32
<b>अंतशेष</b>	<b>1,439.45</b>	<b>1,263.75</b>	<b>1,373.69</b>	<b>1,172.16</b>	<b>1597.75</b>
निवल वृद्धि	(-)106.54	(-)131.66	99.72	230.17	78.12
ब्याज प्राप्तियाँ	47.30	47.02	30.19	27.61	28.32
बकाया ऋणों तथा अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्ति	3.17	3.54	2.28	2.36	1.82
राज्य शासन के बकाया राजकोषीय देनदारियों से ब्याज भुगतान का प्रतिशत	6.16	6.25	6.62	6.38	6.10
ब्याज प्राप्तियाँ एवं ब्याज भुगतान में अंतर (प्रतिशत)	(-) 2.99	(-)2.71	(-)4.34	(-)4.02	(-)4.28
बाजार ऋण के ब्याज दर एवं ऋण पर प्राप्त ब्याज के बीच अंतर से हानि	2.64	4.46	11.89	14.82	10.29

(स्रोत: वित्त लेखे 2018-19)

<sup>11</sup> प्रोफर्मा सुधार के कारण प्रारंभिक शेष परिवर्तित हो गया।

विगत पाँच वर्षों में राज्य शासन को ऋण एवं अग्रिम पर प्राप्त ब्याज तथा ऋण पर दिये गये ब्याज के अंतर से ₹ 44.10 करोड़ की हानि हुई।

शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों का ब्योरा वित्त लेखे के विवरण 18 के खण्ड एक में विस्तृत विवरण किया गया है एवं इकाइयों का विस्तृत विवरण जिनके ऋण के पुर्नभुगतान का बकाया वित्त लेखे के विवरण 18 के खण्ड 2 में किया गया है।

**अनुशंसा:** विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन के हित में, राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि ऋण, विभिन्न संस्थाओं का उस ब्याज दर के बराबर या अधिक ब्याज दर पर दिया जाये जो सरकार उधार ली गई धनराशि पर देती है।

### 1.8.5 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

रोकड़ शेष तथा वर्ष के दौरान राज्य शासन द्वारा किये गए निवेश को तालिका 1.30 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1.30: रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	01 अप्रैल 2018 की स्थिति में प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2019 की स्थिति में अंतिम शेष
<b>(अ) सामान्य रोकड़ शेष</b>		
(1) कोषालय में रोकड़	0.00	0.00
(2) रिजर्व बैंक में जमा	637.60	320.72
(3) मार्गस्थ प्रेषण	0.00	0.00
<b>कुल (1+2+3)</b>	<b>637.60</b>	<b>320.72</b>
(4) "रोकड़ शेष निवेश लेखा" में किया गया निवेश	4,070.85	9,759.02
<b>योग (अ) सामान्य रोकड़ शेष (1+2+3+4)</b>	<b>4,708.45</b>	<b>10,079.74</b>
<b>(ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश</b>		
(1) विभागीय अधिकारियों जैसे वन तथा लोक निर्माण विभाग, राज्यपाल के सैनिक सचिव के पास रोकड़	10.28	12.49
(2) विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी पेशगी राशियों	0.34	0.34
(3) विशिष्ट उद्देश्य हेतु निधियों का निवेश	2,085.84	2,185.31
<b>कुल (ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश (1+2+3)</b>	<b>2,096.46</b>	<b>2,198.14</b>
<b>कुल (अ) तथा (ब)</b>	<b>6,804.91</b>	<b>12,277.88</b>

(स्रोत: वित्त लेखे 2018-19)

पिछले पाँच वर्षों के दौरान अंतिम रोकड़ शेष (तालिका-1.3) ₹ 1,218.38 करोड़ (मार्च 2015 के अनुसार) बढ़कर ₹ 12,277.88 करोड़, जो कि बढ़ती प्रवृत्ति को इंगित करती है। वर्ष 2018-19 के दौरान प्रारंभिक रोकड़ शेष ₹ 6,408.91 करोड़ से बढ़कर अंतिम रोकड़ शेष ₹ 12,277.88 करोड़ हो गई, जिसमें ₹ 5,472.97 करोड़ की वृद्धि हुई।

मार्च 2019 तक रोकड़ शेष का निवेश ₹ 2,512 करोड़ (मार्च 2017) से बढ़कर ₹ 9,759.02 करोड़, जो की राज्य सरकार के आंतरिक ऋण का 19.69 प्रतिशत है। आधिशेष रोकड़ शेष भारत सरकार के कोषालय देयकों (ट्रेजरी बिल)में निवेश किया गया था।

निवेश खाते में आधिशेष रोकड़ शेष राशि ₹ 9,759.02 करोड़ थी जबकि राज्य सरकार ने 2018-19 के दौरान ₹ 12,900.00 करोड़ का बाजार ऋण उठाया था। राज्य सरकार के पास मुख्य रूप से सार्वजनिक ऋण के तहत बाजार ऋण को बढ़ाने के कारण आधिशेष था। बड़े रोकड़ शेष के निर्माण से राज्य सरकार के लिये ब्याज लागात का बोझ बढ़ जाता है। राज्य सरकार इसके साथ उपलब्ध आधिशेष रोकड़ की उपयोग करके अपने उधार और ब्याज के बोझ को कम कर सकती थी।

**अनुशंसा :** राज्य सरकार को नई उधारों का सहारा लेने से पहले अपने मौजूदा रोकड़ शेष का उपयोग करना चाहिए।

### 1.8.6 वित्त लेखे एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के रोकड़ शेष के आंकड़ों में विविधता

अभिलेखों एवं केंद्रीय लेखे अनुभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2019 तक महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के द्वारा प्रस्तुत रोकड़ शेष एवं राज्य सरकार के रोकड़ शेष में ₹ 401.87<sup>12</sup> करोड़ शुद्ध अन्तर है। यह अंतर मुख्य रूप से नौ बैंक द्वारा पेंशन के ₹ 399.82 करोड़ के भुगतान के कारण है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के रोकड़ शेष में शामिल है जैसे की भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताया गया है, लेकिन कोषालय के लेखे में लेखांकन नहीं किया गया है।


## 1.9 परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व

### 1.9.1 परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का वृद्धि तथा संरचना

यद्यपि शासकीय लेखा प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों जैसे भूमि और भवन का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार के वित्तीय दायित्वों तथा किये गये व्यय द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। 31 मार्च 2018 की समरूप स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2019 को ऐसे दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों के सार को परिशिष्ट 1.3 (भाग ब) में प्रस्तुत किया गया है। दायित्व में आंतरिक ऋण, भारत सरकार द्वारा दी गई ऋण एवं अग्रिम, तथा लोक लेखे एवं आरक्षित निधि में प्राप्तियाँ सम्मिलित है। शासकीय संपत्ति में पूँजीगत व्यय, राज्य शासन द्वारा दी गई ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष सम्मिलित है।

### 1.9.2 राजकोषीय दायित्व

राज्य के बकाया राजकोषीय दायित्वों की प्रवृत्तियों को परिशिष्ट 1.3 (भाग ब) में प्रस्तुत किया गया है और गत वर्ष एवं वर्तमान वर्ष के दौरान राजकोषीय दायित्व की तुलना चार्ट 1.7 में प्रस्तुत किया गया है।



(स्रोत: वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के वित्त लेखे)

<sup>12</sup> वित्त लेखों में ₹ 320.72 करोड़ (डेबिट) और रिज़र्व बैंक द्वारा ₹ 81.15 करोड़ सूचित किया गया।

राज्य का राजकोषीय दायित्व, इन दायित्वों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं राजस्व प्राप्तियों से अनुपात को तालिका 1.31 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.31: राजकोषीय देयता-आधारभूत मानक

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
लोक ऋण					
आंतरिक ऋण	18,195	24,214	28,330	36,690	49,554
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,854	1,836	2,047	2,340	2,701
<b>कुल लोक ऋण (क)</b>	<b>20,049</b>	<b>26,050</b>	<b>30,377</b>	<b>39,030</b>	<b>52,255</b>
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	3,649	4,166	5,435	6,078	6,832
आरक्षित निधियां	1,646	1,958	2,328	1,590	1,656
जमा	5,637	5,567	6,118	6,239	6,007
<b>अन्य लोक लेखे देयतायें (ख)</b>	<b>10,932</b>	<b>11,691</b>	<b>13,881</b>	<b>13,907</b>	<b>14,495</b>
<b>कुल राजकोषीय देयतायें (क+ख)</b>	<b>30,981</b>	<b>37,741</b>	<b>44,258</b>	<b>52,907</b>	<b>66,750</b>
राजकोषीय देयताओं का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	24.40	21.82	17.27	19.54	26.16
राजकोषीय देयतायें/स.रा.घ.उ. (प्रतिशत में)	14.01	16.60	17.38	18.62	21.42
राजकोषीय देयतायें/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत में)	81.55	81.93	82.44	88.70	102.54

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

वर्ष 2018-19 के दौरान राजकोषीय देनदारियों की वृद्धिदर 26.16 प्रतिशत था और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में बकाया ऋण 21.42 प्रतिशत था, जो एफ.आर.बी.एम द्वारा प्रामाणिक मानक (18.06 प्रतिशत), 14<sup>वें</sup> वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य (18.40 प्रतिशत) और बजट आंकलन (18.68 प्रतिशत) से ज्यादा था। राजकोषीय देनदारियों में अभिवृद्धि के कारण ब्याज भुगतान का समग्र बोझ ₹ 3,098 करोड़ (वर्ष 2017-18) से 18 प्रतिशत बढ़कर ₹ 3,653 करोड़ (वर्ष 2018-19) हो गया।

### 1.9.3 आरक्षित निधि के अंतर्गत लेनदेन

राज्य शासन के लोक लेखे में 16 आरक्षित निधि विशेष उद्देश्यों हेतु बनाये गये हैं। विवरण तालिका 1.32 में दिया गया है:

तालिका 1.32: वर्ष 2017-18 के दौरान आरक्षित निधि की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखे का शीर्ष	01 अप्रैल 2018 को प्रारंभिक शेष क्रेडिट(+), डेबिट (-)	2018-19 के दौरान प्राप्ति	2018-19 के दौरान संवितरण	31 मार्च 2019 को अंतिम शेष क्रेडिट(+), डेबिट (-)
(क) ब्याज वाले आरक्षित निधि				
8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	202.83	540.68	342.81	400.70
<b>योग (क) ब्याज वाले आरक्षित निधि</b>	<b>202.83</b>	<b>540.68</b>	<b>342.81</b>	<b>400.70</b>
(ख) बिना ब्याज वाले आरक्षित निधि				
8222-निक्षेप निधि	1,946.94	100.00	0.00	2,046.94
8223-अकाल राहत निधि	3.78	0.23	0.00	4.01
8228-राजस्व आरक्षित निधि	4.63	0.00	0.00	4.63
8229- विकास तथा कल्याण निधि	1,517.87	383.23	516.54	1,384.56
8235- सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	0.01	0	0	0.01
<b>योग-(ख) बिना ब्याज वाले आरक्षित निधि</b>	<b>3,473.23</b>	<b>463.46</b>	<b>516.54</b>	<b>3,440.15</b>
<b>योग क एवं ख- आरक्षित निधि</b>	<b>3,676.06</b>	<b>1,024.14</b>	<b>859.35</b>	<b>3,840.85</b>
आरक्षित निधि निवेश लेखा	(-)2,085.84	209.95	309.43	(-)2,185.32

(स्रोत: वित्त लेखे 2018-19)

सोलह आरक्षित निधि (₹ 3,840.85 करोड़ अंतिम शेष) में से 12 संचालित तथा चार आरक्षित निधि (₹ 18.99 करोड़ अंतिम शेष) सात साल से अधिक से संचालित नहीं थे। राज्य सरकार 31 मार्च 2019 तक ₹ 2,185.32 करोड़ (56.90 प्रतिशत) का निवेश कर चुकी थी। असंचालित निधियों के विवरण तालिका 1.33 में दिये गये हैं।

तालिका 1.33: असंचालित आरक्षित निधियों के विवरण

आरक्षित निधि के नाम	31 मार्च 2019 को अंतिम शेष (₹ करोड़ में)	असंचालित वर्ष
<b>8229- विकास एवं कल्याण निधि</b>		
कृषि उद्देश्य हेतु विकास निधि	0.06 (क्रेडिट)	2000-01
वनीकरण हेतु क्षतिपूर्ति निधि	18.89 (क्रेडिट)	2008-09
शिक्षा हेतु विकास निधि	0.03 (क्रेडिट)	2011-12
<b>8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि</b>		
अन्य निधि	0.01 (क्रेडिट)	2000-01
<b>योग</b>	<b>18.99 (क्रेडिट)</b>	

आगे, वर्ष 2001-02 में ग्रामीण विकास निधि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आरक्षित निधि गठित किया गया था, जिसका 31 मार्च 2019 में ₹ 214.76 करोड़ संचयी शेष था। परन्तु, शुरुआत से ही इस निधि से कोई व्यय नहीं किया गया है।

यह इंगित करने पर (मई 2019) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने बताया है कि (जुलाई 2019) कि वित्त विभाग से ग्रामीण विकास निधि से संबंधित कोई भी राशि इस विभाग को स्थानांतरित नहीं किया गया है। हालांकि, वित्त विभाग द्वारा सूचित (अगस्त 2019) किया गया कि संबंधित विभाग से ग्रामीण विकास निधि का व्यय योजना तैयार करने के लिये कहा जायेगा।

**अनुशंसा:** राज्य सरकार को असंचालित निधि को बंद करने के लिए कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है एवं संचित निधि में शेष राशि को भेजना चाहिए।

#### 1.9.4 राज्य आपदा राहत निधि (एस.डी.आर.एफ)

मार्च 2019 को राज्य आपदा राहत निधि का अंतिम शेष ₹ 400.70 करोड़ था। राज्य आपदा राहत निधि की मार्गदर्शिका 2015 के अनुसार राज्य कार्यकारी समिति द्वारा निधि के शेष को (क) केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में (ख) ऑक्शनड ट्रेजरी बिल एवं (ग) ब्याज युक्त जमा एवं अधिसूचित वाणिज्यिक बैंको के जमा प्रमाण पत्रों में निवेश किया जाना है और अर्जित ब्याज को संबंधित कोष में जमा किया जाना है। आगे यह दर्शाता है की भारत सरकार का हिस्सा प्राप्त होने के राज्य अपने हिस्से के साथ राशि को तुरंत लोक लेखे शीर्ष में 15 दिनों के अंदर हस्तांतरित कर देना चाहिए। किसी भी विलंब के लिये राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर पर ब्याज सहित विलम्ब के दिनों के लिए राशि जारी करने की आवश्यकता होगी।

दिसम्बर 2018 में भारत सरकार से राज्य आपदा राहत निधि से प्राप्त सहायता अनुदान ₹ 125.10 करोड़ तथा राज्यांश ₹ 13.90 करोड़ राज्य आपदा राहत निधि में वर्ष 2018-19 के दौरान स्थानांतरित नहीं किया गया, जिसके कारण राजस्व अधिक्य को अधिकएवं राजकोषीय घाटे को कम दर्शाया गया। राज्य आपदा राहत निधि के दिशा-निर्देश के अनुसार राज्य सरकार को राज्य आपदा राहत निधि को हस्तांतरित नहीं की गई राशि पर 2.24 करोड़ ब्याज देने की जरूरत थी, की ब्याज की गणना भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर<sup>13</sup> के अनुसार की गई है।

<sup>13</sup> फरवरी 2019 तक 6.75 प्रतिशत तथा 8 फरवरी से मार्च 2019 तक 6.50 प्रतिशत।

राज्य आपदा राहत निधि की मार्गदर्शिका के अनुसार, निधि का शेष भारत सरकार की प्रतिभूतियों, नियमित ट्रेजरी बिल, ब्याज अर्जन जमा और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ जमा के प्रमाण पत्र में निवेश किया जाना है। वर्ष 2018-19 के दौरान ट्रेजरी बिलों में 182 दिनों के लिए 209.28 करोड़ की राशि का निवेश किया गया था और इन निवेशों पर ₹ 7.25 करोड़ का ब्याज दिया गया था जिसे निधि में क्रेडिट कर दिया गया था।

**अनुशंसा:** राज्य सरकार को राज्यांश के साथ-साथ भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश को राज्य आपदा राहत निधि में समय पर हस्तांतरण सुनिश्चित करना चाहिए तथा दिशानिर्देशों के अनुसार इस निधि के तहत शेष का निवेश करना चाहिए।

### 1.9.5 संचित निक्षेप निधि

12<sup>वें</sup> वित्त आयोग के अनुशंसा में सभी ऋण जैसे बैंको से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि आदि के परिशोधन हेतु राज्य ने संचित निक्षेप निधि का गठन किया। साथ ही, 12<sup>वें</sup> वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार वर्ष के शुरुआत में बकाया दायित्वों का न्यूनतम 0.50 प्रतिशत वार्षिक अंशदान निधि में स्थानांतरण करने की आवश्यकता थी।

वर्ष 2018-19 के दौरान वर्ष के शुरुआत में छत्तीसगढ़ शासन को न्यूनतम ₹ 264.54 करोड़ (प्रारंभिक वर्ष में बकाया दायित्व ₹ 52,907.08 करोड़ का 0.50 प्रतिशत) वार्षिक अंशदान, निधि में स्थानांतरण करने की आवश्यकता थी, इसके बदले छत्तीसगढ़ शासन ने ₹ 100 करोड़ हस्तांतरण किया। राज्य सरकार द्वारा 164.54 करोड़ का कम योगदान किया गया जिसके कारण राजस्व आधिक्य अधिक एवं राजकोषीय घाटा कम प्रदर्शित हुआ। संचित निक्षेप निधि (निवेश लेखा) में वर्ष 2006-07 से 2018-19 के दौरान ₹ 2,046.94 करोड़ शेष रहा।

**अनुशंसा:** छत्तीसगढ़ शासन को 12<sup>वें</sup> वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार ऋण मुक्ति हेतु आवश्यकता राशि संचित निक्षेप निधि में स्थानांतरित करना चाहिये।

### 1.9.6 प्रत्याभूति की स्थिति-आकस्मिक दायित्व

अधिकतम राशि जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति दिया गया था एवं पिछले पाँच वर्षों से लंबित प्रत्याभूति तालिका 1.34 में दिया गया है।

तालिका 1.34: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूतियाँ	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
प्रत्याभूति की अधिकतम राशि	9,080.06	14,883.41	12,641.13	6,549.89	19,573.79
प्रत्याभूति की बकाया राशि	2,314.47	1,988.24	3,982.97	3,881.92	10,769.42

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

मार्च 2019 के अंत तक ₹ 10,769.42 करोड़ की प्रत्याभूति बकाया थी। आकस्मिक दायित्वों के रूप में प्रत्याभूतियों की लंबित राशि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 16.54 प्रतिशत थी। वर्ष 2018-19 के दौरान नई प्रत्याभूतियाँ ₹ 7,359.15 करोड़ की थी।

12<sup>वें</sup> वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन को वर्ष के शुरुआत में बकाया प्रतिभूति के 0.50 प्रतिशत का न्यूनतम वार्षिक योगदान के साथ एक प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन करने की आवश्यकता थी। तदनुसार राज्य शासन को प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन करने की आवश्यकता थी एवं वर्ष 2005-06 से 2018-19 के दौरान ₹ 151.92 करोड़ का स्थानांतरण करना था, जिसमें से ₹ 19.41 करोड़ केवल वर्ष 2018-19 संबंधित है। राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अधिकांश प्रत्याभूतियाँ मध्यम एवं कम जोखिम प्रकृति के होने के कारण वित्त आयोग के अनुशंसा के विपरीत प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन नहीं किया।

वर्ष 2018-19 के दौरान प्रत्याभूति शुल्क के तौर में ₹ 41.11 करोड़ के विरुद्ध ₹ 5.00 करोड़ की वसूली हुई जिसका मुख्य कारण सहकारी संस्थाओं को मूलधन की पुनः अदायगी एवं ब्याज के भुगतान (₹ 36.00 करोड़) के लिए दी गई प्रत्याभूतियों से कम प्राप्ति होना है।

**अनुशंसा:** राज्य शासन को 12<sup>वें</sup> वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन और संचालन करना चाहिए।

### 1.9.6.1 ऑफ बजट दायित्व

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में सरकारी अधिकारियों के 6,424 आवसीय घरों को बनाने के लिये एवं 728 फ्लेटों की खरीदी के लिए क्रमशः ₹ 401.64 करोड़ केनरा बैंक से और ₹ 195.00 करोड़ इलाहाबाद बैंक से ऋण लिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस ऋण पर लगने वाले ब्याज और मूलधन को चुकाने का जिम्मेदारी लिया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड ने पुलिस अधिकारियों के लिए 10,000 आवसीय घरों के निर्माण के लिए इलाहाबाद बैंक से ₹ 143.76 करोड़ और केनरा बैंक से ₹ 60.95 करोड़ का ऋण लिया।

इस प्रकार, ऋण का दायित्व पूरी तरह से छत्तीसगढ़ सरकार के साथ निहित हैं ना कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल तथा छत्तीसगढ़ पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड के साथ परन्तु छत्तीसगढ़ सरकार के खाते में दर्शाया नहीं गया। परिणामस्वरूप, छत्तीसगढ़ सरकार के दायित्व को ₹ 801.35 करोड़ से कम आंका गया। इसके अतिरिक्त यदि इन ऑफ बजट दायित्वों को जोड़ा जाता तो राजकोषीय घाटा और बढ़ जाता।

वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार ने मूलधन राशि का पुनर्भुगतान नहीं किया। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने वर्ष 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 22.53 करोड़ एवं ₹ 33.61 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया। जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड को ₹ 23.60 करोड़ का भुगतान किया और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को राज्य सरकार द्वारा कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया था। आगे यह देखा गया कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल तथा छत्तीसगढ़ पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा एक साल/छ:महीने के मार्जिनल कास्ट आफ फंड लेंडिंग रेट (एम.सी.एल.आर) पर बैंक से 7.9 प्रतिशत से 8.70 प्रतिशत की दर से ऋण लिया और राज्य सरकार ने बाजार ऋण (छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण) से 7.43 प्रतिशत से 8.18 प्रतिशत की दर से वर्ष 2018-19 के दौरान ऋण लिया। यदि सरकार द्वारा ऑफ बजट दायित्व के जगह बाजार ऋण के 8.18 प्रतिशत (बाजार ऋण से अधिकतम ब्याज) की दर से लिया होता तो ₹ 1.06 करोड़ के अतिरिक्त ब्याज बोझ से बचा जा सकता था।

**अनुशंसा:** राज्य सरकार को बजट में प्रकटीकरण विवरणों के माध्यम से ऑफ-बजट उधार का विवरण देना चाहिए।

### 1.10 ऋण प्रबंधन

विगत पाँच वर्षों के दौरान राज्य सरकार के कुल लोक ऋणों (आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिमों तथा अन्य देयतायें जिसमें लघु बचत, भविष्य निधि, ब्याज सहित और ब्याज रहित आरक्षित निधियां तथा ब्याज सहित और ब्याज रहित जमा शामिल हैं) की स्थिति राजकोषीय देयतायें के तहत तालिका-1.32 में प्रदान की गई है।



### 1.10.1 राज्य ऋण के परिपक्वता की रूपरेखा

राज्य ऋण के परिपक्वता की रूपरेखा वर्ष 2018-19 तालिका 1.35 में दिया गया है।

तालिका 1.35: राज्य ऋण के परिपक्वता

वर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशत
0 से 1	1,846.88	3.73
1 से 3	8,200.45	16.55
3 से 5	11,582.52	23.37
5 से 7	13,342.90	26.93
7 से 9	13,041.05	26.32
9 और उससे अधिक	1,540.03	3.11
<b>योग</b>	<b>49,553.83</b>	

(स्रोत: वित्त लेखे 2018-19)

31 मार्च 2019 में राज्य ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा दर्शाती है कि, राज्य को नौ साल के अंदर 96.89 प्रतिशत ऋण का भुगतान करना पड़ेगा। आगे यह भी दर्शाता है कि राज्य का अगले सात से नौ साल जो कि वित्तीय वर्ष 2026 से 2028 के दौरान 13,041.05 करोड़ (कुल दायित्व का 26.32 प्रतिशत) ऋण का भुगतान करना है।

### 1.10.2 लोक ऋण एवं लोक लेखा देयताओं के कारण उपलब्ध निवल निधि

वर्ष 2014-19 के दौरान लोक लेखा दायित्वों के कारण उपलब्ध निवल निधि के विस्तृत विवरण तालिका 1.36 में दिया गया है।

तालिका 1.36: लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों के कारण उपलब्ध निवल निधि

ब्यौरे	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
लोक ऋण एवं अन्य दायित्व के अंतर्गत प्राप्तियाँ <sup>14</sup> (₹ करोड़ में)	11,914	12,902	11,804	15,851	20,737
लोक ऋण एवं अन्य दायित्व के अंतर्गत पुनर्भुगतान (मूलधन एवं ब्याज) <sup>15</sup> (₹ करोड़ में)	7,363	8,215	8,801	10,301	10,577
निधियों की शुद्ध उपलब्धता (₹ करोड़ में)	4,551	4,687	3,003	5,550	10,160
लोक ऋण एवं अन्य दायित्व के अंतर्गत प्राप्तियों से निधियों की शुद्ध उपलब्धता का प्रतिशत	38.20	36.33	25.44	35.01	48.99

उक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि ऋण ली गई निधियों की 51 प्रतिशत दायित्वों के निर्वहन के लिए उपयोग किया एवं इसका उपयोग राज्य के पूँजी निर्माण/विकास गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सका।

### 1.10.3 ऋण धारणीयता

राजकोषीय दायित्वों को टिकाऊ माना जाता है यदि राज्य सरकार भविष्य निकट भविष्य में इन दायित्वों के स्टॉक का निर्वहन करने में सक्षम है और ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात अप्रबंधनीय अनुपातों तक नहीं बढ़ता है। डोमर मॉडल लोक ऋणों के विश्लेषण के लिये एक मॉडल है, जो यह बताता है कि यदि अर्थ व्यवस्था की वृद्धि

<sup>14</sup> कुल प्राप्तियाँ ₹ 20,737 करोड़ = आंतरिक कर्ज ₹ 13,817 करोड़ भारत सरकार का ऋण ₹ 554 करोड़ और अन्य दायित्व ₹ 6,366 करोड़।

<sup>15</sup> कुल पुनर्भुगतान ₹ 10,577 करोड़ = आंतरिक कर्ज के सापेक्ष मूलधन और ब्याज ₹ 3,912 करोड़, भारत सरकार का ऋण ₹ 332 करोड़ और अन्य दायित्व का निर्वहन ₹ 6,333 करोड़।

दर ऋण पर ब्याज दर से अधिक है तो ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर रहने की संभावना है। तालिका 1.37 डोमर स्थिरता की शर्तों को दर्शाती है।

तालिका -1.37 : डोमर मॉडल के अंतर्गत ऋण धारणियता मानदंड		
जी=वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर : आर = वास्तविक ब्याज वृद्धि दर : जी-आर, डोमर अंतराल को दर्शाता है	एस < 0 ( प्राथमिक घाटा)	एस > 0 ( प्राथमिक आधिक्य)
जी-आर > 0 (सुदृढ़ आर्थिक वृद्धि)	लोक ऋण शून्य से ऊपर एक स्थिर स्तर की ओर अभिसारित होगा ।	लोक ऋण शून्य से निचे स्थित एक स्थिर स्तर की ओर अभिसारित होगा और लोक बचतों का निर्माण करेगा ।
जी - आर < 0 (धीमी आर्थिक वृद्धि)	लोक ऋण बिना किसी स्थिर स्तर की अभिसारित हुए, अनिश्चित रूप से बढ़ेगा	अपरिभाषित स्थिति

छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में इस विश्लेषण से परिलक्षित हुता है कि राजकोषीय दायित्व को एक स्थिर स्तर की ओर अभिसारित होना चाहिए, जैसा कि तालिका 1.38 में दिखाया गया है।

तालिका 1.38 : 2014-19 के दौरान राज्य के ऋण स्टॉक की धारणीयता

वर्ष	वास्तविक वृद्धि दर (जी)	वास्तविक वृद्धि दर (आर)	जी-आर>0	प्रारंभिक घाटा (-)/ आधिक्य (+)
	(प्रतिशत में)			(₹ करोड़ में)
2014-15	1.77	(-) 0.29	2.06	(-) 6,281
2015-16	2.80	(-) 0.52	3.32	(-) 2,425
2016-17	8.54	3.10	5.44	(-) 1,361
2017-18	5.41	3.67	1.74	(-) 3,712
2018-19	6.08	3.67	2.41	(-) 4,640

• वास्तविक वृद्धि दर, राज्य के वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर परिकलित है ।  
 • वास्तविक ब्याज वृद्धि दर की गणना राजकोषिय दायित्वों पर औसत ब्याज दर से मुद्रास्फीति को घटाकर किया गया औसत मुद्रास्फीति का गणना एम.ओ.एस.पी.आई के वेब साइट पर उपलब्ध, छत्तीसगढ़ के मासिक मुद्रास्फीति दरों की मुद्रास्फीति के वर्तमान श्रृंखला (2012) के संदर्भ में की गयी है।

सभी पाँच वर्षों (वर्ष 2014 से 2019) के दौरान प्राथमिक घाटा हुआ था जो कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान ह्रासमान रहा लेकिन वर्ष 2017-18 से 2018-19 के दौरान पुनः वृद्धिमान हो गया। डोमर मॉडल के तहत ऋण धारणीयता की शर्तों, जैसा कि तालिका 1.38 में दर्शाया गया है के मद्देनजर राज्य सरकार का राजकोषीय दायित्व ऋण धारणीयता की शर्त (जी-आर>0) को संतुष्ट करता है। तथापि यह विचारणीय है कि, डोमर अंतराल (जी-आर) लगातार बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्ज नहीं कर रहा है। डोमर गैप के इस तथ्य के साथ देखा जाना चाहिये कि वर्ष 2018-19 के दौरान आंतरिक ऋण का 58 प्रतिशत (₹ 49,553.84 करोड़) 6.10 की औसत ब्याज दर (वास्तविक ब्याज दर 3.67 प्रतिशत)के विपरीत आठ या आठ प्रतिशत से अधिक (वास्तविक ब्याज दर 5.57 प्रतिशत) की ब्याज दर पर उधार लिया गया था। इसके अतिरिक्त, राज्य की ऋण धारणीयता/स्थिरता का आकलन करने के लिए अन्य कारकों जैसे कि लोक लेखे की देनदारियाँ, ऑफ बजट उधारियाँ, अप्रत्याशित घटनायें<sup>16</sup> और/अथवा सूचीबद्ध नहीं किए गए राजस्व के अन्य नुकशानों पर भी विचार किया

<sup>16</sup> जैसे कि वर्तमान में कोरोना वायरस और सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर इसके प्रभाव ।

जाना चाहिए। आगे वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान, ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात और ब्याज भुगतान के भार वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य सीमा से पार कर निरंतर बढ़ते रहे, जैसे की विवेचना नीचे की गयी है।

### वित्तीय घाटा और ऋण धारणीयता

वित्तीय धारणीयता के उपरोक्त संदर्भ में तेरहवें वित्त आयोग ने ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात और राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान के संदर्भ में भी ऋण धारणीयता को परिभाषित किया है। चौदहवें वित्त आयोग (एफ एफ सी) ने केन्द्र और राज्य सरकार के लिये राजकोषीय समेकन के लिये सिफारिशों की और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे और ऋण स्टॉक के लिये सीमाये प्रदान की। 14वें वित्त आयोग लक्ष्यों की तुलना में ऋण स्टॉक की स्थिती तालिका 1.39 में प्रदान की गयी है।

तालिका 1.39 : ऋण धारणीयता-राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम सूचक आधारित विश्लेषण

वर्ष	राजकोषीय घाटा सापेक्ष सा.रा.घ.उ		ऋण स्टॉक सापेक्ष सा.रा.घ.उ (प्रतिशत में)		ब्याज भुगतान सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों	
	14वें वित्त आयोग का लक्ष्य	उपलब्धि	14वें वित्त आयोग का लक्ष्य	उपलब्धि	14वें वित्त आयोग का लक्ष्य	उपलब्धि
	2015-16	3.50	2.01	13.73	16.60	3.33
2016-17	3.50	1.58	15.50	17.38	3.76	5.00
2017-18	3.50	2.33	17.05	18.62	4.07	5.19
2018-19	3.50	2.66	18.40	21.42	4.30	5.61

(स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखें और 14वें वित्त आयोग प्रतिवेदन)

राज्य सरकार 2015-16 से वित्त आयोग का लक्ष्यों के नीचे राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में सक्षम थी। हालांकि, राजस्व प्राप्तियों के लिये ब्याज भुगतान के अनुपात (ब्याज भुगतान का भार) का लक्ष्य हासिल नहीं किये गये थे। ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात भी लक्ष्यों के भीतर नहीं था; इसके अलावा 2015-2019 के दौरान यह 16.60 प्रतिशत से बढ़कर 21.42 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिये राजकोषीय घाटे के लिये लक्ष्य प्राप्त करने के बावजूद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष ब्याज भुगतान और राजकोषीय देनदारियों की गतिविधि को चौदहवें वित्त आयोग द्वारा लक्षित स्तर पर वित्तीय समेकन के लिये वर्ष 2019-20 तक प्रत्याशित पथ पर नहीं लगता है।